[illegible] समाज
[illegible]ोशागंज
[illegible]खनऊ का
इतिहास
15.4

मुद्रकः—
बाग, लखनऊ। फोन ३६४६



विषय-सूची



उदार एवं असंकीर्ण भावनाओं से अनुभावित आर्य समाज गणेशगंज की सर्वप्रथम कोष पुस्तक (कैश बुक) का सर्वप्रथम पृष्ठ

Lucknow Arya Samaj
Cash Book

Date 1885		Particulars	Receipts Rs a p	Payments Rs a p
May	16	Received from Moulvi Mohamed Husain Entrance fee 1/4/ and subscription [illegible]		
"	"	Received from [illegible] Entrance fee 1/4/ and subscription [illegible]		
"	"	Received from Pandit [illegible] Entrance 1/4/ fee [illegible]		
"	"	Purchased [illegible] Quires of Papers at [illegible], 2 Pencils [illegible] 2 Holders [illegible] Brown paper 6 sheets [illegible] nibs [illegible]		
"	"	Received from Pandit [illegible] Misra Entrance fee		
"	"	Received from Pandit [illegible] Bajpayee Entrance fee		
"	"	Received from Pandit Ramadhar Bajpayee Entrance fee		
"	"	Purchased oil		
"	30	Received from Pandit Devi Sahai Mishra Entrance fee		
June	1	Received from Baboo [illegible] Gopal do		
do	12	Received from Bhola Entrance fee		
	1	and subscription		
	1	oil		
	13	Received from Pandit Indra narain Entrance fee [illegible]		
	15	Subscription for May from [illegible]		
	15	Oil		
	17	Received from [illegible] Prasad Misra [illegible]		
	"	ditto from [illegible] Entrance fee [illegible]		

इस आर्य समाज के सर्व प्रथम सदस्य तथा दानदाता श्री मौलवी मोहम्मद हुसेन साहब हैं जिनका प्रशंसनीय कार्य आज भी धार्मिक संकीर्ण विचारों की चुनौती दे रहा है।

आर्य समाज गणेशगंज लखनऊ का विशाल भवन



जो आज भी अनेक नर-नारियों के हृदयों को वैदिक ज्योति की अमृतमय रश्मियों से प्रकाशित कर रहा है।



ओ३म्

प्राक्कथन

ओ३म् विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । यद्भद्रं तन्न आसुव ।।

पथ-प्रदर्शक प्रकाश स्तम्भ के समान व्यक्तियों तथा राष्ट्रों के जीवन में जयन्तियां भी अतीत, वर्त्तमान तथा भविष्य के लिए आलोक प्रदान करती हैं। अतीत का सिंहावलोकन तथा भविष्य का सुन्दरतम उद्देश्य इनके द्वारा निर्द्धारित होता है। अतः इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर आर्य समाज गणेशगंज लखनऊ की हीरक जयन्ती मनाने का निश्चय किया गया। आर्यसमाज गणेशगंज की रजत जयन्ती सन् १६०५ तथा स्वर्ण जयन्ती सन् १६३१ में सफलतापूर्वक मनाई जा चुकी हैं। इसी आर्यसमाज की हीरक जयन्ती भी १६५६ में हम अत्यन्त उत्साह तथा उल्लास से आयोजित कर रहे हैं।

संस्थाओं तथा राष्ट्रों के जीवन में यद्यपि ७५ वर्ष अत्यन्त छोटी अवधि है तो भी इनके द्वारा संस्थाओं तथा राष्ट्रों को प्रेरणा तथा प्रगति प्राप्त होती है अतः संस्था के संगठन को और भी सुदृढ़ तथा शक्ति सस्पन्न करने के लिए आज हम अपने प्रिय आर्यसमाज गणेशगंज की लोकप्रियता का निदर्शन जयन्ती के रूप में आपको उल्लास भरे हृदयों से समर्पित कर रहे हैं।

समय समय पर अनेक त्यागी तथा व्रती आर्य पुरुषों ने इस समाज-पादप को अपने स्नेह जल से सिञ्चित कर पल्लवित, पुष्पित तथा फलित किया है। आर्यसमाज सर्वदा अपने उन अभिभावकों का आभारी है।

जयन्ती के पावन अवसर पर आर्य समाज के ७५ वर्षों की गतिविधि का अत्यन्त संक्षिप्त विवरण इतिहास के रूप में आपके हाथों में है। यह इतिहास आर्यसमाज गणेशगंज द्वारा किए गए कार्यों की एक संक्षिप्त सूचिका ही है। वृहत् इतिहास के प्रकाशन की विवशता को कदाचित् आप परिस्थितियों की बाध्यता का अनुभव कर हमें क्षमा करेंगे।

यह इतिहास ७५ वर्षों के विवरण के आधार पर श्री नरेन्द्रनाथ शास्त्री एम० ए० काव्यतीर्थ, साहित्याचार्य, आयुर्वेदाचार्य, आयूर्वेद शिरोमणि, प्रतिष्ठित स्नातक (गुरुकुल वृन्दावन) तथा आर्यसमाज गणेशगंज के प्राचीनतम सभासद ने निर्मित किया है। इस अवसर पर मैं उनको धन्यवाद देना अपना कर्तव्य समझता हूँ। साथ ही श्री चन्द्रभाल दुवे जो इतिहास समिति के सदस्य

हैं एवं मेरे अन्य सहयोगियों ने जिस उदारता तथा सहानुभूति से मेरा सहयोग किया है उन सबका भीं मैं हृदय से आभारी हूँ ।

मुझे आशा है कि यह संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण पाठकों के हृदयों में आर्यसमाज गणेशगंज के प्रति सदैव सहानुभूति तथा सहृदयता को जागृत करेगा ।

चन्द्रदत्त तिवारी
मन्त्री
आर्यसमाज गणेशगंज, लखनऊ
(हीरक जयन्ती के शुभावसर पर)

२६ दिसम्बर १६५६



प्रथम पंक्ति (बाय से दायें) पं० रामाधार वाजपेयी, पं० रामदुलारे वाजपेयी, प० अयोध्या प्रसाद मिश्र, पं० के० जी० पाण्डया, बा० गौरीशंकर सहाय, बा० देवी प्रसाद।

द्वितीय पंक्ति (बायें से दायें) बा० वृजलाल, बा० मुरलीधर, (समाज मन्दिर), डा० इन्द्रमणि, बा० हरनाथ प्रसाद।

तृतीय पंक्ति (बायें से दायें) डा० किशोरीलाल, बा० प्रभुदयाल, डा० लक्ष्मीसहाय, पं० एम० के० पाण्डया, पं० वेणी प्रसाद पाण्डेय, ठा० गदाधर सिंह।



प्रथम पंक्ति (खड़े हुए बायें से दायें) श्री गया प्रसाद त्रिपाठी, (उपमन्त्री), श्री पारसनाथ चतुर्वेदी, श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री विष्णु कुमार अवस्थी (उपमन्त्री), श्री महेश्वर पाण्डेय, श्री चन्द्रभाल दुबे (उप कोपाध्यक्ष), श्री प्रज्ञामित्र शास्त्री (पुस्तका अध्यक्ष), श्री राज किशोर कपूर।

द्वितीय पंक्ति (बायें से दायें) कुमारी सन्तोपदत्त, श्री चन्द्र दत्त तिवारी (मन्त्री), श्री विष्णु शर्मा (उपप्रधान) श्री रामचन्द्र तिवारी (प्रधान) श्री तेजनारायण श्रीवास्तव (उपप्रधान), श्री नरे[illegible] शास्त्री ([illegible]), श्री ज्ञानेन्द्रनाथ निगम।

प्रथम-परिच्छेद

सूत्र पात

विश्व की सभ्यता तथा संस्कृति की देन में अन्य देशों के समान भारतवर्ष का भी चिरकाल से प्रमुख स्थान रहा है। अखिल विश्व को बन्धुत्व की भावनाओं में सम्मिलित करने तथा परस्पर प्रीति एवं सौजन्य की उच्च विभूतियों से मानव का उपकार करने का दृढ़ निश्चय, आर्यभूमि भारत वर्ष की अपनी प्राचीन मान-मर्यादा है। जीवन के भौतिक स्तर से लेकर आध्यात्मिक स्तर की सम्पूर्ण श्रेणियों की उन्नति में भारतवर्ष ने समय समय पर पूर्ण सहयोग दिया है और आज के इस परमाणवीय युग में भी वैदिक मंत्रों की पावन स्वर लहरी "ओ३म् द्यौ : शान्तिरन्तरिक्षा ँ शान्तिः" आदि के रूप में विश्व शान्ति की मधुर भावनाओं में ओत प्रोत हो रही है।

कालचक्र के प्रभाव से और उत्थान तथा पतन के अनिवार्य तथा अटल सत्यों की आधार भूमि पर स्थापित साम्राज्यों के उत्थान तथा पतन आज भी इतिहास के पृष्ठों पर मानव जाति के प्रयत्नों के ध्रुव सत्य की अमिट छाप अंकित कर रहे हैं। जगद्गुरू भारतवर्ष भी काल की इन कठोर थपेड़ों से कैसे मुक्त रह सकता था ? फलतः ज्ञान, विज्ञान कला-कौशल, साहित्य और आध्यात्मिक सुधा का यह मधुर स्रोत शनैः शनैः विरल होकर शुष्क हो गया और स्वतन्त्रता के निष्पाप वायु मंडल में साँस लेने वाला वही भारत पराधीनता के कठोर पाशों में आवद्ध हो गया।

पतन का प्रभाव भी एकदेशीय न होकर सर्वतोमुखी होता है। इसके अनुसार "जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीति वहार। अब अलि रही गुलाब में अपत कटीली डार" कविवर विहारी लाल के शब्दों के अनुसार प्रिय भारत का भी नैतिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पतन होना प्रारम्भ हुआ।

पराधीनता की संकीर्ण परिस्थितियों में पारस्परिक विद्वेष तथा स्वार्थ की भावनाओं का उदय हुआ और भारत के उदार सार्वभौमिक सिद्धान्तों का म्रियमाण रूप भी सम्मुख उपस्थित हुआ। अपनी मौलिक शिक्षाओं को भूलकर हम अभिमान और अहम्मन्यता के कारण ईर्ष्या तथा द्वेष की भाव- नाओं में लिप्त हो गये और सामाजिक गौरव को भूलकर वैयक्तिक स्वार्थ सिद्धि में प्रवृत्त हुए। हमारा दृष्टिकोण संकुचित हुआ और साथ ही हमने "वसुधैव कुटुम्वकम्" की उदार भावनाओं से विमुख हो "सर्वः स्वार्थं समीहते" के कटु आदर्श को अपनाया। निष्पक्ष और न्याय वुद्धि को छोड़कर अन्धानुकरण की प्रवृत्ति ने जन्म लिया और वही भारत इन ८०० या ९०० वर्षों में अपने सम्पूर्ण प्राचीन गौरव को विस्मृत कर चुका।

वैदिक मान मर्यादाओं से पराङ्मुख हो, भौतिक विलासवाद की मधुर मृग-मरीचिकाओं से प्रतारित भारत का जनमत, अनन्त तथा अप्राप्य आशाओं के पीछे दौड़ने लगा और ऊँच नीच की क्षुद्र विचारधारा ने हमारे हृदयों को संकीर्ण कर दिया।

अपनी शिक्षा, सभ्यता, मानमर्यादा सभी कुछ हमने भुला दीं और स्वार्थी राजाओं तथा अहम्मन्य गुरुओं की स्वार्थ संवलित विचारधारा को हमने अपनाया।

भारत के इस तमसाच्छन्न आकाश में वैदिक रवि का उदयन आवश्यक था। ऐसे कर्णधार की आवश्यकता थी जो कि भारत की जर्जर नैय्या को पार लगाता। ऐसा प्रकाश स्तम्भ अनिवार्य था जो भारत को विपत्तियों से वचाता हुआ अपने उद्देश्य पर पहुँचाता। सौभाग्य से इसी समय सम्वत् १८८१ (सन् १८२४ में) गुजरात प्रान्त के टंकारा नामक ग्राम में श्री अम्बाशंकर जी के यहाँ मूल शंकर नाम के बालक का जन्म हुआ और आगे चलकर यही बालक स्वामी दयानन्द सरस्वती के नाम से विश्रुत हुए।

आपने भारत के रोग का निदान पहँचाना और योग्य चिकित्सक के रूप में इसका उपचार करने का दृढ़ संकल्प किया। यावज्जीवन ब्रह्मचर्यपूर्वक सनातन संस्कृति का अनुकरण करते हुए आपने भारत को अपने पूर्व गौरव से परिचित कराया और वेदों के 'स्वस्ति पन्थामनुचरेम' का पावन मार्ग प्रदर्शित किया। आपके ही कार्यों का फल आज दृष्टिगत हो रहा है। हिन्दी जिसे श्री स्वामीजी सर्वदा आर्यभाषा के नाम से व्यवहृत किया करते थे आज हमारी राष्ट्रभाषा है। इसका सर्वप्रथम प्रयत्न आचार्य दयानन्द जी ने ही किया था।

गौरक्षा, हरिजन-उत्थान (अछूतोद्धार), संस्कृत भाषा का प्रचार, स्वदेशी व्यवहार, वैज्ञानिक उन्नति का सर्वप्रथम प्रसार तथा केवल जाति पाँति के जन्मानुसार बन्धन आदि का आपने ही सर्वप्रथम विरोध किया। बाल-विवाह विरोध, नारियों का सम्मान तथा प्रतिष्ठा, मादक द्रव्यों का निषेध आदि सभी सुधार आचार्य दयानन्द की दिव्य दृष्टि द्वारा प्रदर्शित किये गये।

इस प्रकार नवीन दिशा की ओर भारत ने अपने कदम उठाये और संयोग से राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी आगे चलकर आचार्य दयानन्द जी की ही प्रायः सभी बातों को सिद्धान्ततः अपनाया। आचार्य दयानन्द जी ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति में ही अपना सम्पूर्ण जीवन व्यतीत किया और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के निमित्त आर्य समाज नाम की एक संस्था भी स्थापित की।

श्री स्वामी जी ने सर्वप्रथम गिरगाँव ,बम्बई में चैत्र शुक्ला पंचमी सम्वत् १९३२ तदनुसार १० अप्रैल सन् १८७५ को आर्य समाज की स्थापना की। उसके बाद भारत की सर्वरूपेण उन्नति करने का महान् व्रत लेकर अनेक स्थानों में समाज की स्थापना की और अपने जीवनकाल में ही अपने जीवन कार्यों का उत्तरदायित्व परोपकारिणी सभा को देकर कार्त्तिक कृष्णा ३०सम्वत् १९४० (सन् १८८३) में अजमेर में दीपावली के दिवस अपने जीवन प्रदीप को बुझाकर परलोक यात्रा की। परन्तु

आचार्य दयानन्द के उद्देश्यों की सफलता

वह जीवन ज्योति जो चिरन्तन ज्योति से प्रज्ज्वलित थी, जो तेज भौतिक वारि-धाराओं से मन्द नहीं पड़ सकता था आज भारतीय मन मन्दिर में विशुद्ध रूप में देदीप्यमान हो रहा है। उसकी किरणें आज भारत की सुदूर कुटियों में भी प्रविष्ट हो चुकी हैं। आज पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक कौन ऐसा व्यक्ति है जो आचार्य दयानन्द द्वारा लौकिक व्यवहार के लिये व्यवहृत और 'आर्योद्देश्य रत्नमाला' के १०० वें या अन्तिम उद्देश्य "नमस्ते" (मैं तुम्हारा मान करता हूँ) का प्रयोग नहीं करता ? हम आज इस शब्द का व्यवहार कर अपनी सभ्यता को प्रदर्शित करते हैं और एक सूत्र में बँधने का संकल्प सा हृदय में करते हैं। इसी एकता का प्रचार, द्वेष तथा कलह की तिलांजलि ही आचार्य दयानन्द का उद्देश्य था और इसी एकता के लिये स्वयं गुजराती होते हुए, संस्कृत के पूर्ण पंडित होने पर भी भारत को एक भाषा प्रदान की और भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी से भी पूर्व उस विशुद्ध आर्य भाषा को जन्म दिया जो आज हमारी राष्ट्रीय सम्पत् हो रही है। हिन्दी,

हिन्दुस्तानी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या उर्दू के चक्र में न पड़कर ऋषि दयानन्द ने राष्ट्र का जो स्वरूप आज से ८५ वर्ष पूर्व निश्चित किया था वही आज हमने अपनाया है। राष्ट्रीय संगठन का क्या यह प्रथम मौलिक प्रयास नहीं था ?

आज का मानव! बीसवीं सदी की सभ्यता का प्रतीक मानव! मातृ शक्ति के महत्व को समझने का दम्भ कर रहा है, पर आचार्य दयानन्द ने आज के भारत को अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा ९० वर्ष पूर्व ही भली प्रकार देख लिया था और उच्च स्वर में आघोषित कर दिया था कि "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः" जहाँ नारी शक्ति की पूजा होती है वहीं देव पूजा भी हो सकती है अन्यत्र नहीं। अज्ञातकाल से सामन्तवादी युग तक हमने मातृ शक्ति की अवहेलना की, उनको स्वतन्त्र वायु मंडल में साँस लेने का भी अधिकार नहीं दिया, शिक्षा क्षेत्र का द्वार उनके लिये सदा के लिये बन्द कर दिया था पर स्वामी दयानन्द ने नारी जाति की उन्नति का जो बीज वपन किया था वह आज फलित हो रहा है। आज विश्व भारत की नारियों पर गर्व कर रहा है। आज के भारत ने लड़कों के समान लड़कियों को भी दायभाग में समान अधिकार देने का दावा किया है। क्या यह आचार्य दयानन्द के उद्देश्य की पूर्ण परिसमाप्ति नहीं है ? पावन साधना का सुन्दरतम फल इससे उत्तम और क्या हो सकता है ? इसके साथ ही कल के वे अछूत, जो रामायणी शिक्षा के आधार पर "ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी" के फतवे के अनुसार एक मात्र पिटने के लिये और पैरों तले रौंदे जाने के लिये ही पैदा हुए थे, क्या आज हमारे भारत के संविधान को बनाने में प्रमुख स्थान के भागी नहीं हुए हैं, क्या वे भारतीय मंत्रि-मंडल में महत्व पूर्ण कार्य नहीं कर रहे हैं ? आज हमने कानून की दृष्टि से छुआ-छूत को अवैधानिक ठहराया है लेकिन आचार्य दयानन्द ने ही तो कांग्रेस से बहुत पूर्व ही इसका सन्देश हमको दिया था। शिक्षा, विवाह, संस्कृति, आचार विचार--किस दिशा में आज दयानन्द के उद्देश्यों की साक्षात् विजय नहीं हो रही है। ८० वर्ष पूर्व लिखी आठ पन्नों की गोकरुणानिधि पुस्तक का मधुर परिणाम आज भारतीय राष्ट्र द्वारा संचालित 'गोसंवर्धन सप्ताह' और 'गोसदन' हैं जो आचार्य दयानन्द की विजय की पावन वैजयन्ती को विश्व में उत्तोलित कर रहे हैं।

युग प्रवर्तक आचार्य दयानन्द को आज का ही नहीं अपितु कल का भारत भी उसी गौरव पूर्ण दृष्टि से देखेगा जैसा कि वह उसे कल देख चुका है।

श्री स्वामी जी का लखनऊ में शुभागमन तथा आर्य समाज की स्थापना—इन्हीं सदुद्देश्यों से प्रेरित हो स्वामी जी ने वैदिक धर्म का प्रचार करने के

लिये प्रान्त के प्रसिद्ध नगरों में जाने का आयोजन किया और प्रथम वार सन् १८७२ में वे लखनऊ पधारे। आप घसियारी मंडी में ठा० गजाधर सिंह की कोठी में ठहरे और वहीं पर आपने धर्मोपदेश करना प्रारम्भ किया। इस प्रथम आगमन के समय स्वामीजी के विचारों में आर्य समाज की स्थापना नहीं थी और वे आठ, नौ दिवस रह कर चले गये।

इसके उपरान्त सन् १८७६ के सितम्वर मास में विजय दशमी के अवसर पर श्री स्वामी जी पुनः लखनऊ पधारे। इस वार वे हुसेनावाद तालाव के समीप सरदार विक्रम सिंह जी महाराज कपूरथला की कोठी में ठहरे। इस अवसर पर इस समाज के प्रतिष्ठित सदस्य (जो वाद में कई वर्षों तक समाज के मन्त्री भी रहे थे) श्री केशवराम विष्णु लाल पाण्ड्या भी थे। आपके ऊपर श्री स्वामी जी के मनोहर उपदेशों का पूर्ण प्रभाव पड़ा। उस समय श्री स्वामी जी का अधिकांश समय वेद भाष्य करने में ही व्यतीत होता था। यद्यपि इस समय तक वेद भाष्य के छपने का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था परन्तु स्वामी जी ने अपने वार्तालाप के प्रसंग में इस वात का वर्णन किया था कि वेद भाष्य शीघ्र ही प्रकाशित होगा। कतिपय उपस्थित सदस्यों ने उसको लेना स्वीकार किया और इसके लिये इसी समाज के प्रारम्भिक कर्णधारों में महत्त्वपूर्ण स्थान रखने वाले श्री रामाधार जी वाजपेयी, मुख्य लेखक तार घर, पर श्री स्वामीजी ने स्वयं उसकी विक्री का भार सौंपा। इस प्रकार इस समाज के कतिपय कार्य कर्त्ताओं को स्वामीजी के साथ साक्षात् सम्पर्क स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस दूसरी यात्रा में श्री स्वामीजी के व्याख्यान यहियागंज में वावू कन्हैया लाल जी रेलवे एकाउन्टेण्ट और सआदतगंज में लाला राधाकिशन कन्हैयालाल के मन्दिर में भी होते थे।

तीसरी वार श्री स्वामी जी का आगमन तीन वर्ष उपरान्त १८ सितम्वर १८७९ को हुआ। इस वार श्री स्वामीजी को यहाँ निमंत्रित करने का व्यय भी इसी समाज के भावी सभासदों ने किया था। उनमें श्री रामाधारजी वाजपेयी, वावू चन्दन गोपालजी वावू हरनाम प्रसादजी, श्री केशवराम विष्णुलाल पाण्ड्या पं० अयोध्या प्रसाद मिश्र, वा० सरजू दयालजी मुख्य हैं। इस वार स्वामीजी का निवास स्थान गोमती के किनारे मोती महल की कोठी में हुआ। उन दिनों स्वामीजी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। उनको छः मास पूर्व रुड़की में कोई विषैली औषधि दी गयी थी, जिसकी चिकित्सा के लिये वे गाय के विना घृत निकले मट्ठे का सेवन करते थे। परन्तु इस रुग्णावस्था में भी उनके कार्य-क्रम में किसी प्रकार की वाधा नहीं थी। इस वार आपके व्याख्यान गणेश

गंज में तथा चौक में भी हुए। इसी अवसर पर श्री स्वामीजी ने स्वयं यहाँ आर्य समाज स्थापित करने का प्रस्ताव किया। उपस्थित व्यक्तियों ने निवेदन किया कि अभी हम लोगों ने इस पर पूर्ण रूपेण विचार नहीं किया है परन्तु अगली बार जब आप दर्शन देंगे तो हम लोग अवश्य ही समाज की स्थापना करेंगे।

अपने पूर्व कथनानुसार श्री स्वामी जी चौथी वार पुनः ५ मई, १८८० को यहाँ पधारे और नाके हिन्डोले के पास राना शंकर बख्श की वाटिका में निवास किया तथा नवाब अमीनुद्दौला के इमामवाड़े के चौतरे पर आप के व्याख्यान नित्य होते रहे और इसी चबूतरे पर ही वैषाख कृष्णा ३० अमावस्या रविवार सम्वत् १९३७ तदनुसार ९ मई सन् १८८० को श्री स्वामीजी ने समाज की स्थापना की। इसके २५ सभासद हुए और निम्नलिखित सर्व प्रथम पदाधिकारी निर्वाचित किये गये--

प्रधान	श्री पं० इन्द्र नारायण मसालदान जी
उप प्रधान	श्री पं० रामाधार वाजपेयी जी
मंत्री	श्री पं० राम दुलारे वाजपेयी जी
उप मंत्री	श्री बा० सरयू दयाल जी
कोषाध्यक्ष	श्री पं० अयोध्या प्रसाद जी
पुस्तकाध्यक्ष	श्री बा० चन्दन गोपाल जी

निम्नलिखित सज्जन प्रथम अन्तरंग सदस्य (उस समय उनको व्यवस्थापक कहा गया है) निर्वाचित हुए:--

(१) श्री पं० देवी प्रसाद मिश्र जी
(२) श्री पं० सीताराम बन्द्योपाध्याय जी
(३) श्री पं० वेणीमाधव बाजपेयी जी
(४) श्री हर नाम प्रसाद जी
(५) श्री छोटे लाल जी बी० ए०
(६) श्री पं० केशवराम विष्णुलाल पाण्ड्या जी

सर्व प्रथम आर्य समाज ने अपने कार्य संचालनार्थ वही नियम निश्चित किये जो आर्य समाज लाहौर के नियम थे और उन्हीं नियमों के अनुसार आर्य

समाज का कार्य होता रहा । अधिवेशन साप्ताहिक न होकर पाक्षिक ही हुआ करते थे ।

प्रथम वर्ष में ही इस समाज के सभासदों की संख्या २५ से ४६ हो गई । उस समय समाज के सभासदों तथा आर्य सभासदों के नियम अत्यन्त कठोर थे और उनका उसी कठोरता के साथ पालन करना भी आवश्यक था । कुछ वर्षों तक समाज में प्रविष्ट होने के समय अनिवार्य रूप से १।) और भी पारितोषिक देना होता था । साथ ही आर्य सभासदों की तीन श्रेणियाँ बनाई गईं । तीसरी श्रेणी का सामान्य आर्य सभासद् वही व्यक्ति हो सकता था जो कि--

(१) प्रातः सायं सन्ध्या अवश्य करे ।

(२) ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, वर्णोच्चारण शिक्षा और सन्धि विषय को यथावत् पढ़ सके ।

इसके उपरान्त अन्तरंग सभा समय समय पर कुछ पाठ्य क्रम निर्धारित करती थी उसके पूर्ण कर लेने पर द्वितीय तथा उसके बाद प्रथम श्रेणी का आर्य सभासद् होता था ।

आर्य बन्धुओं में पारस्परिक प्रीति, मेल मिलाप, आपस में घरों में आना जाना आदि कुछ ऐसे व्यवहार थे जिनसे सर्व प्रथम आर्य अपने को एक ही परिवार का व्यक्ति समझते थे ।

प्रत्येक आर्य के हृदय में यह उत्कट अभिलाषा थी कि आर्य समाजी, समाज में गौरव की दृष्टि से देखा जावे और इसके लिये वे लोग स्वतः अत्यन्त सतर्क तथा जागरूक रहते थे ।

प्रत्येक आर्य पुरुष के पास 'पंच महायज्ञ विधि' का होना आवश्यक था तथा प्रथम वर्ष ही यह उद्घोषित किया गया था कि जिस आर्य पुरुष पर सन्देह हो गया कि उसको मन्त्र याद नहीं हैं तो उसका नाम पाक्षिक अधिवेशनों में लिया जावेगा । इस प्रकार सत्यता एवं नैतिकता की अटल भावना से इस समाज की आधार शिला स्थापित की गयी थी ।

श्री स्वामी दयानन्द जी सरस्वती महराज की मृत्यु पर इस समाज द्वारा शोक प्रदर्शन:---९ मई सन् १८८० में इस समाज की स्थापना के ठीक तीन वर्ष बाद कार्तिक कृष्ण पक्ष ३० सम्वत् १९४० तदनुसार ३० अक्टूबर सन् १८८३

को श्री स्वामी जी का देहावसान अजमेर में सायंकाल ६ बजे दीपावली के दिन हजारों प्रदीप जलाकर होगया। आपको दूध में कांच पीस कर दिया गया था और लगभग २ मास से आप अस्वस्थ थे। आपकी हृदय विदारक मृत्यु का समाचार सुनकर सम्पूर्ण भारत में शोक छा गया--विशेष कर समस्त आर्य बन्धु शोक में मग्न हो गये। इस आर्य समाज ने ४ नवम्बर १८८३ को भी स्वामी जी की मृत्यु पर शोक प्रकट किया और समस्त सभासद १।। घंटे तक मौन बैठे रहे तथा परम पिता परमात्मा से मृतात्मा की शांति की मङ्गल कामना करते रहे।

सत्य प्रकाश पाठशाला की स्थापना--आर्य बन्धुओं को संस्कृत की शिक्षा देने तथा स्वामी जी कृत पुस्तकों के अर्थ को भली प्रकार हृदयंगम कराने के लिये 'सत्य प्रकाश पाठशाला' की स्थापना की गयी जिसमें वयस्क भी आकर पठन-पाठन किया करते थे। इस पाठशाला के द्वारा ही आर्यपुरुष वैदिक मन्तव्यों पर परस्पर विचार विनिमय भी करते थे।

आर्य समाज के उत्साही सदस्य श्री पं० बलभद्र मिश्र जी ने आर्य समाज के नियमों को पद्यबद्ध भी किया और समाज ने उनको प्रकाशित करा कर सब आर्य बन्धुओं को कण्ठस्थ करने के लिये भी भेजा।

प्रथम वर्ष से ही इस आर्य समाज की बहुमुखी उन्नति करने की प्रवृत्ति रही। मुंशी इन्द्रमणि जी पर जो अभियोग इस्लाम तथा ईसाइयत की कटु आलोचना करने के लिये इसी वर्ष चलाया गया था उसमें इस समाज ने सामूहिक रूप से सहायता प्रदान की।

श्री स्वामी जी के वेदभाष्य के प्रकाशन के लिये भी प्रथम वर्ष ही इस समाज ने आर्थिक सहायता की।

सामाजिक पुरुषों के त्याग तथा पदलोलुपता के अभाव का एक मात्र यही निदर्शन है कि इस समाज की अन्तरंग सभा ने यह आवश्यक नियम बनाया था कि आगामी वर्ष के निर्वाचन से पूर्व प्रत्येक अधिकारी को अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिये जिस से अन्य पुरुषों को सेवा करने का उत्तम अवसर प्राप्त हो सके और पदों के कारण परस्पर मनोमालिन्य न हो।

इन्हीं उदार भावनाओं से प्रेरित हो यह समाज उत्तरोत्तर प्रगति की ओर प्रवृत्त हुआ और इसका प्रथम वार्षिक उत्सव १ मई सन् १८८१ रविवार के

दिन हुआ, जिसमें सदस्यों ने अत्यन्त प्रेम और उत्साह पूर्वक कार्य अपने हाथों द्वारा ही किये और मजदूरी आदि के सम्बन्ध में एक पैसा भी व्यय नहीं किया।

इस प्रकार कार्य करते हुए आर्य समाज ने उत्तरोत्तर जनता की सहानुभूति प्राप्त की। इस समाज का नाम अन्य समाजों के न होने के कारण आर्य समाज लखनऊ ही रखा गया।

आर्य समाज के अपने स्थान के लिये प्रयत्न

समाज की स्थापना के दिवस से लगभग एक वर्ष तक समाज के अधिवेशन सत्यप्रकाश पाठशाला में ही हुआ करते थे, परन्तु कुछ दिनों बाद पाठशाला के प्रमुख अधिकारियों से विचारों में भेद होने के कारण समाज के अधिवेशन उक्त पाठशाला में न हो सके और फलतः आर्य समाज के अधिवेशनों के स्थान के लिये एक विकट समस्या उपस्थित हो गयी। परन्तु इस संकट के समय भी सामाजिक पुरुषों के उत्साह में किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं आई अपितु उनका हृदय और भी अधिक उल्लास और उत्साह से समाज के अधिवेशनों को करने में संलग्न रहा।

यह चिन्ता नहीं थी कि धूप है या वर्षा, आँधी है या तूफान, फर्श आदि है या नहीं। चिन्ता थी तो यही कि अधिवेशन अवश्य होने चाहिये। अतः उस समय शीघ्रता में कोई अन्य उचित और उपयुक्त स्थान न मिलने के कारण समाज के अधिवेशन कुछ समय के लिये पुलिस चौकी (वर्तमान वैदिक कन्या पाठशाला और व्यायाम शाला) के समीप सड़क के पूर्व वाली जमीन में, जो वर्तमान समाज के मन्दिर के सम्मुख है, होते रहे। वर्षा के आगमन पर भी उन्मुक्त वातावरण में अधिवेशनों का सफलता पूर्वक सम्पादन होता रहा परन्तु कभी कभी अधिवेशन के मध्य में वर्षा के होने से विघ्न भी पड़ने लगा। इस दैवी आपत्ति के कारण आर्य समाज के उपप्रधान और अत्यन्त उत्साही आर्य पुरुष पं० रामाधार जी वाजपेयी ने अत्यन्त श्रद्धा और उत्साह पूर्वक अपना स्थान समाज के अधिवेशनों के लिये दे दिया और कहा कि जब तक समाज के लिये अन्य स्थान का प्रबन्ध न हो जावे तब तक समाज यहीं होता रहे। तदनुसार समाज कुछ महीनों तक उन्हीं के स्थान पर रहा। परन्तु किसी गृहस्थ के घर में चिर काल तक समाज के अधिवेशनों का संपादित होना आर्य सामाजिक पुरुषों के गौरव में न्यूनता उत्पन्न करता था। फलतः यह

निश्चय किया गया कि समाज का जब तक कोई अपना मन्दिर नहीं होता है तब तक किराये पर कोई कमरा ले लेना चाहिये और इसी निर्णय पर दृग्विजय सिंह (दुर्विजयगंज की सराय) के कमरों में से (जो सड़क के किनारे नवाब कुल्लीखां साहब के मकान के सामने हैं) एक कमरा ३) मासिक किराये पर ले लिया और कुछ समय तक अधिवेशन तथा अंतरंग सभायें भी उसी कमरे में होती रहीं। परन्तु किराये के मकान में वह स्वतंत्रता तथा सुविधा कहां? यदि इसी पर सन्तोष हो जाता तो आर्य समाज के स्वर्ण इतिहास में यह एक पराजय की घटना होती। यह प्रस्ताव भी बहुत समय तक कार्यान्वित न हो सका।

इन सब असुविधाओं और संकटों ने एक भद्र भावना को जन्म दिया और वह यह कि प्रत्येक आर्य ने यह दृढ़ संकल्प कर लिया कि किसी न किसी प्रकार समाज का अपना भवन अवश्य होना चाहिये, विना इसके सामाजिक कार्यों में स्थिरता और सौन्दर्य नहीं आ सकता और न हम अपने वायु मंडल में सांस ही ले सकते हैं। इस उत्साह की चिनगारियों के लिये समाज के उपप्रधान पं० रामाधार जी वाजपेयी के दृढ़ निश्चय—कि जवतक समाज किराये के मकान में रहेगा मैं उसमें सम्मिलित नहीं हूंगा—ने पवन का कार्य किया। इस विचार ने सामाजिक पुरूषों के उत्साह में और भी वृद्धि की और सभी लोग किसी न किसी प्रकार समाज ने लिये स्थान लेने को व्यग्र हो उठे। विपत्तियाँ भी साहस से हार मान लेती हैं। उत्साह सम्पन्न पुरूषों की परम प्रभु परमात्मा भी सहायता करते हैं। अतः जब यह विचार आर्य पुरूषों के हृदयों में हो ही रहा था कि संयोग से बाबू नाथू राम परवेयर को लखनऊ से अन्यत्र जाना पड़ा और उन्होंने अपना मकान, जो फतेहगंज में काली जी के मन्दिर के समीप गली में था, बेचना चाहा। समाज के सदस्य बाबू गौरी शंकर सहाय की मध्यस्थता से श्री परवेयर महोदय ने अपना मकान ६००) रु० में समाज को देने की कृपा की परन्तु तत्काल धन का प्रवन्ध कैसे किया जावे यह दूसरा संकट उपस्थित हुआ। परन्तु संकटों की सरिता में हंसते हंसते तैरना ही तो आर्य समाज की आधार भित्ति है, अतः यह प्रश्न भी सरलता से सुलझ गया। पं० अयोध्या प्रसाद जी मिश्र—जो समाज के सदस्य थे और लाल हनुमन्त राव जी देव बहादुर के भाई, जो सेहनोन जिला गोंडा के तालुकेदार थे—के यहां नौकर थे। उनसे कहा गया कि आप इस समय रुपया दे दें और अपने सन्तोष के लिये जबतक समाज आप को धन न दे मकान अपने नाम लिखा लें। उन्होंने १२ आ० सैकड़े ब्याज पर रुपया देना स्वीकार किया और मकान ले लिया गया। मकान श्री अयोध्या प्रसाद जी के ही नाम रहा। समाज के अधिवेशन

उसमें होते रहे। समाज ने २५०) रु० का भुगतान तो कर दिया परन्तु ३५०) रु० अवशिष्ट रहे। लाल साहब ने यह धन व्याज सहित पं० अयोध्या प्रसाद जी मिश्र को देना स्वीकार किया और कहा कि आप समाज को इस धन की प्राप्ति की रसीद लिख दें और धीरे धीरे हमारे हिसाब में चुकता कर लेवें। पण्डित जी ने रसीद तो लिखकर दी परन्तु सरकारी रीति से लिखा पढ़ी न हुई।

आर्य समाज के तथा उसके प्रवर्तक ऋषि दयानन्द ने कभी भी सैद्धान्तिक विषयों में समझौता नहीं किया। कष्टों और संकटों के मध्य भी वह सत्य सिद्धान्तों से कभी भी विचलित नहीं हुए। एक अवसर इस आर्य समाज के इतिहास में संकट का आया और परम प्रभु की कृपा से इस सत्य की परीक्षा में भी आर्य समाज विजयी हुआ। घटना का पूर्व रूप इस प्रकार है।

श्री लाल साहब (श्री हनुमंत राव जी) जब लखनऊ आते थे तब इसी समाज मन्दिर में ठहरते थे और कभी कभी मांसादि पदार्थों का भी सेवन करते थे। समाज मन्दिरों में रह कर यह कार्य कैसे हो सकता था? अतः आर्य समाज ने यह प्रस्ताव स्वीकृत किया कि जो कोई बाहर से आया पुरुष जब तक किसी समाज की चिट्ठी न रखता हो किम्वा समाज को उसका परिचय न हो वह इस मन्दिर में न रह सकेगा तथा मन्दिरों में भक्ष्याभक्ष्य, मद्यपानादि अनुचित व्यवहार न करने चाहियें।

यह निर्णय लाल साहब को भी भेजा गया। निश्चय था कि वे इससे अप्रसन्न होते और हुआ भी ऐसा ही, परन्तु आर्य पुरुष अपने निश्चय पर दृढ़ रहे। लाल साहब ने श्री अयोध्या प्रसाद जी से कहा कि हम रुपया आप को मुजरा नहीं देगें। इस पर पंण्डित जी ने समाज के अधिकारियों से रुपया मांगा। समाज ने तुरन्त ही कहा कि हम आप को रुपया देने को तैयार हैं, परन्तु आप बैनामा समाज के नाम कर दें परन्तु उन्होंने लाल साहब के संकेत से आर्य समाज के नाम बैनामा करने में आनाकानी की। कुछ समय तक विवाद चलता रहा, परन्तु अन्त में पं० राम दुलारे जी वाजपेयी के सतत उद्योग से पण्डित जी ने स्वीकार कर लिया। समाज की अंतरंग सभा पं० अयोध्या प्रसाद जी के मकान पर ही हुई। सभासदों ने पण्डित जी से प्रार्थना की कि आप शेष मूल ३५०) ले लें तथा व्याज छोड़ दें। वह व्याज आप का जो मासिक पारितोषिक है उसमें मुजरा हो जावेगा और समाज के नाम आप बैनामा कर दें। ईश्वरीय प्रेरणा ही समझिये पं० अयोध्या प्रसाद जी सहमत हो गये और निम्नलिखित ट्रस्टियों (आप्तों) के नाम से समाज क्रय किया गया—

१—पं० रामदुलारे जी वाजपेयी

२—बा० सरयू दयाल जी

३—पं० सुख मंगल जी मिश्र

४—पं० भगवानदीन जी मिश्र

५—बा० देवी प्रसाद जी

यह नवीन समाज मन्दिर और सभी दृष्टियों से सुखकर था परन्तु गली म होने के कारण वर्षा में कीच आदि हो जाने से जाने-आने में कष्ट होता था, तथापि समाज का कार्य भली प्रकार चलता रहा।

१३ नवम्बर सन १८८८ को मंत्री कालिवन स्कूल की याचना के कारण जब वह स्कूल आर्य समाज के तत्वावधान में इसी मकान में आया तब तो यह स्थान अत्यन्त संकीर्ण प्रतीत हुआ। दसवें वर्ष अर्थात् १८९० में इस समाज मन्दिर के अन्दर परिवर्तन करने के निमित्त धन संग्रह हुआ और उसमें एक सुन्दर हाल बनवा दिया गया। यह हाल अधिवेशनों के लिये सुविधाजनक रहा, परन्तु संकीर्ण गली की समस्या का कोई समाधान न हो सका और सामाजिक पुरुषों के हृदयों में विशाल मन्दिर का भव्य भवन देखने की अभिलाषा बनी ही रही।

वर्तमान समाज स्थान

ईश्वर की माया अति विचित्र है। समाज की प्रतिदिन की सफलताओं पर ईश्वर ने भी कृपा दृष्टि की। गणेशगंज में पुलिस चौकी के पास चौराहे पर मुसम्मात बिट्टो, घसीटे तेली की विधवा अथवा मिठ्ई तेली की मां का विचार अपने मकान का ⅔ अंश बेचने का हुआ और उधर फतेहगंज के मकान को क्रय करने का संदेशा भी प्राप्त हुआ। इस स्वर्णावसर से लाभ उठाकर इस समाज ने अपने २४ नवम्बर १८९५ के नैमित्तिक वृहदाधिवेशन में इस मकान को लेने का निश्चय किया और ६ दिसम्बर १८९५ को १८२७॥) में खर्च आदि मिलाकर बिट्टो तेलिन का मकान खरीद लिया गया। इसमें निम्नलिखित ट्रस्टी थे—

१—श्री पं० रामदुलारे जी वाजपेयी

२—श्री सरयू दयाल जी

३—श्री पं० केशव राम जी पाण्ड्या

४—श्री बा० गौरी शंकर जी सहाय

५—श्री पं० अयोध्या प्रसाद जी मिश्र

६—श्री बा० मुरलीधर जी

७—श्री बा० तारा चन्द्र जी वर्मा

८—श्री डा० हनुमान प्रसाद जी

इसके साथ ही फतेहगंज वाला मकान ११२५) में बिना खर्च के जानकी राम बख्श के नाम ६ दिसम्बर १८९५ को बेच दिया गया। अब इसके निर्माण की ओर सबका ध्यान आकृष्ट हुआ। इतनी तत्परता तथा उत्साह से इस कार्य का प्रारम्भ हुआ कि १२ जनवरी १८९६ को इस की आधार शिला श्री पं० राम दुलारे जी वाजपेयी तथा श्री बा० सरजू दयाल जी के करकमलों द्वारा रख दी गयी। नींव में एक बोतल में आर्य समाज के दस नियम तथा सामयिक लेख भी संगृहीत करके रखे गये। इसके उपरांत धीरे-धीरे इस समाज के भवन के निर्माण का कार्य होता रहा।

प्रारम्भिक सहायता तथा प्रचार कार्य—आर्य समाज के सदस्यों की यह उत्कट भावना थी कि सम्पूर्ण भारत में जहाँ कहीं भी आर्य समाज हों या आर्य समाज सम्बन्धी सिद्धांतों का प्रचार होता हो वहाँ आवश्यकता प्रतीत होने पर इस समाज के द्वारा भी सहायता प्रदान की जावे। इस के अनुसार इस समाज ने अपने प्रारम्भिक वर्ष में ही आर्य समाज फर्रुखाबाद तथा मुन्शी इन्द्रमणि जी के अभियोग में सहायता दी। आर्य समाज मेरठ के वार्षिक उत्सव में सम्मिलित होने के लिए समाज द्वारा आर्य पुरुष भेजे गये। इसी प्रकार जहाँ कहीं आर्य समाज के वार्षिकोत्सव होते थे यह समाज समय-समय पर अपने सभासदों को उन में सम्मिलित होने को भेजता रहा। इस प्रकार समाज का कार्य न केवल लखनऊ क्षेत्र में ही अपितु प्रान्त के प्रमुख नगरों में भी जन-धन द्वारा होता रहा। सन् १८८२ के आर्य समाज के द्वितीय वार्षिकोत्सव का विवरण गद्य में नहीं अपितु पद्य में लिखा गया। आर्य पुरुषों के हिन्दी-प्रेम का परिचय देने के लिये यहाँ उसके दो एक सुन्दर पद्य दिये जाते हैं, जिससे ज्ञात हो सके कि आर्य समाज की सर्वतोमुखी प्रचार की क्या रूप रेखा थी।

यज्ञ वर्णन—

स्वाहा सुशब्द पुकारि द्विजगन देन जब आहुति लगे।
शुचि अमृत शब्द सुपान कारक विबुध मन आनंद पगे।

अरु अनल जनु तन धारि स्वाहा सुनत ही धारण करै।
अरु वायु सुन्दर गन्ध सुखद उड़ाय नभ मण्डल भरै।
सतजुग भयो कलजुग गयो जनु वेदमत पुनि निर्म्मयो।
यह रुचिर भाँति प्रचार से जनु दुखद भारत तम गयो।

व्याख्यान वर्णन--

शुचि मृदुल मंजुल वेद धर्म पियूषमय जब श्रुति परो।
सब विबुध अवुध प्रमोद प्रेमामग्न मन आनन्द भरो।
चिर काल दुर्लभ सत्य मुक्तिद निगम पन्थ मनोहरा।
अति भाग्य वस भायो श्रवण जेहिभांति नहिं कहुँ दूसरा।
चिर जिवहु आर्य समाज दिनकर निसि अविद्या जेहि हरा।
अरु लाय त्रेता सत्य युग कलि काल ऊपर जेहि धरा ॥

सन् १८८२ में आर्य वन्धुओं में अपनी राष्ट्र भाषा की उन्नति के लिये यह उत्साह था।

सभासदों के ऊपर विद्वान् सभासदों का संरक्षण—आर्य समाज के मन्तव्यों का यथावत् अध्ययन करने की सुविधा के लिये सर्व प्रथम इसी समाज ने एक नई योजना को कार्यान्वित किया। प्रथम श्रेणी के विद्वान् सदस्यों के तत्वावधान में कुछ सभासदों को वर्ष भर के लिये नियत कर दिया जाता था और वे सभासदों की शंकाओं का निवारण करके उनको वैदिक सिद्धान्तों से परिचित कराते रहते थे। इन सम्भ्रान्त व्यक्तियों का यह भी कर्त्तव्य होता था कि वे अपने अधीन सभासदों के आचार-विचार पर भी उचित दृष्टि रखें और उनको आदर्श आर्य जीवन व्यतीत करने की ओर तत्पर करें।

इस प्रथा को उस समय सभी सभासदों ने उच्च भावना से ही स्वीकृत किया। उनके हृदयों में किसी प्रकार की अपनी हीनता आदि के भाव नहीं आते थे। समाज के तात्कालिक प्रमुख कर्णधार श्री रामाधार जी वाजपेयी, श्री राम दुलारे जी वाजपेयी सरीखे व्यक्ति भी, जो समाज के वर्षों तक प्रधान रहे, श्री परम हंस जी के तत्वावधान में शिक्षा प्राप्त करते थे।

अधिष्ठाता समाज का आयोजन--आर्य पुरुषों ने परस्पर विभिन्न समाजों के वार्षिकोत्सवों पर सम्मिलित हो कर यह निश्चित किया कि अपने-अपने जिलों में या ७, ८ जिलों की समाजों को मिला कर एक अधिष्ठाता समाज

नियत हो जाया करे। इस प्रणाली को प्रतिनिधि सभा का पूर्व रूप ही समझना चाहिए। अवध प्रान्त के लिये अवध की समाजों ने मिलकर यह निश्चय किया कि आर्य समाज लखनऊ को ही अधिष्ठाता समाज बनाया जावे, परन्तु यहाँ के अधिकारियों ने उस समय बड़ी सद्भावना से कहा कि इस समाज को अधिष्ठाता समाज बनने में कोई आपत्ति नहीं है, प्रत्युत यह तो इस समाज के लिये गौरव ही है, परन्तु जब तक हमारा स्वयं का समाज मन्दिर न हो तब तक बिना निश्चित आधार के हम इस उत्तम तथा उत्तरदायित्व पूर्ण भार को कैसे स्वीकार कर लें। अतः कुछ दिनों के लिये यह प्रस्ताव स्थापित कर दिया गया।

देव भाषा प्रचार समिति की स्थापना—सन् १८८३ के प्रारम्भ में ही जब हिन्दी शब्द का नाम भी भारत में पूर्ण रूप से प्रचलित नहीं हुआ था तभी इस समाज के अधिकारियों ने देव भाषा (हिन्दी) प्रचार का दृढ़ संकल्प किया और यह निश्चय किया गया कि आर्य पुरुष अपना सब पत्र व्यवहार आदि देव भाषा में ही किया करेंगे। इस समिति में सर्व श्री हरनाम प्रसाद जी, बलभद्र जी मिश्र, ब्रजलाल जी, केशव राम जी, सरजू दयाल जी, भगवानदीन जी, राम लाल जी तथा रामसेवक जी निर्वचित हुए जिन्होंने बड़ी लगन से देव भाषा के उत्थान में भाग लिया।

उपदेशक मण्डली—आर्य समाज मेरठ ने इस बात की आवश्यकता का अनुभव किया कि समाजों के उत्सवों पर तथा अन्य अवसरों पर भी प्रचार के लिये एक उपदेशक मण्डली का होना नितान्त आवश्यक है जिससे योग्य उपदेशक प्रचार के लिये रखे जा सकें। इस समाज के सम्मुख भी यह प्रश्न आया। इस समय तक वेद प्रचार विभाग या आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना नहीं हुई थी अतः सभी समाजों ने इस विचार का स्वागत किया। इस समाज के सदस्यों ने तो इस शुभ कार्य के लिये अपनी एक मास की सम्पूर्ण आय देने का भी निश्चय किया।

समाज के सदस्यों को वार्षिकोत्सव पर भेजने की व्यवस्था—सामाजिक पुरुषों में परस्पर प्रीति तथा सहयोग की स्थापना के लिये इस समाज ने निश्चय किया कि यथा सम्भव समाज के व्यय से कोई न कोई व्यक्ति अन्य समाजों के उत्सवों पर अवश्य भेजा जावे—इस से हम को अन्य समाजों की गतिविधि का परिचय होता रहेगा। फलतः श्री बलभद्र जी मिश्र, आर्य समाज मेरठ; श्री अयोध्या प्रसाद जी आर्य समाज कानपुर तथा श्री केशवराम जी पाण्डेय परोप-कारिणी सभा अजमेर के अधिवेशनों में भेजे गये। इसके अनन्तर भी कई

वर्षों तक यह प्रथा प्रचलित रही, और अन्य समाजों के सदस्य भी यहाँ के वार्षिक उत्सवों में सम्मिलित होते रहे।

श्रीमद्दयानन्द आश्रम की स्थापना—अनाथ एवं अनाश्रित बालकों के संरक्षण के लिए लगभग सन् १८८४ में इस आर्य समाज का ध्यान गया और अनुभव किया कि इन बालकों की रक्षा करना और उनके पठन-पाठन की व्यवस्था करना समाज सेवा की दृष्टि से प्रथम कर्त्तव्य है। उस समय अनाथालय इत्यादि की व्यवस्था नहीं थी और अनाथालय नाम से किसी संस्था में रहने वाले बालकों में आत्म सम्मान तथा प्रतिष्ठा की भावनायें कैसे जागृत हो सकती थीं अतः ऐसे आश्रमों का सुन्दर नाम 'दयानन्द आश्रम' ही हो सकता था। सर्व प्रथम इस प्रान्त में इसी आर्य समाज ने दयानन्द आश्रम की स्थापना की। इस का प्रवन्ध भी आर्य समाज की अन्तरंग सभा द्वारा होता था। इस आश्रम में बाहर के आये हुये व्यक्ति भी जिनको कहीं आश्रय प्राप्त नहीं हो सकता था निवास कर सकते थे और उनको समय-समय पर आर्य मन्तव्यों तथा सिद्धान्तों से परिचित कराया जाता था। इस आश्रम द्वारा आर्य समाज ने अपनी सर्वप्रथम जनता की सेवा-भावना का परिचय दिया था।

प्रतिनिधि सभा की स्थापना और लखनऊ समाज का सम्मिलित होना—प्रान्त का प्रत्येक आर्य समाज इस बात का अनुभव कर रहा था कि सब समाजों को एक सूत्र में सम्बन्धित करने वाली किसी ऐसी सभा का निर्माण किया जाये जिसके आदेशानुसार सम्पूर्ण समाजों का कार्य एक समान हो जावे और संगठित शक्ति का आश्रय प्राप्त कर सम्पूर्ण समाजें सामूहिक रूपेण कार्य करें। इसी के फल स्वरूप इस आर्य समाज से भी १८८५ में निर्णय किया कि एक सभा 'प्रतिनिधि सभा पश्चिमोत्तर प्रदेश व अवध' के नाम से स्थापित की जावे और उसके लिये मेरठ स्थान ही इस समाज ने भी उपयुक्त समझा। यह आर्य समाज दिसम्बर १८८६ में प्रतिनिधि सभा में सम्मिलित हुआ तथा प्रतिनिधि सभा का कोटि धन देना भी इस समाज ने अंगीकृत किया। इसी समय इस आर्य समाज ने अजमेर में दयानन्द आश्रम और दयानन्द ऐंग्लो कालेज की स्थापना का भी प्रस्ताव किया।

दयानन्द ऐंग्लो वैदिक स्कूल उत्तर प्रदेश की स्थापना—मेरठ में प्रतिनिधि सभा के कतिपय सदस्यों ने इस बात का निश्चय किया कि लाहौर की भाँति इस प्रान्त में भी एक 'दयानन्द कालेज' की स्थापना की जावे। इस विचार को इस समाज की अन्तरंग सभा ने भी परिपुष्ट किया

आर्य समाज गणेशगंज लखनऊ के २० वीं शती के प्रथम तथा द्वितीय चरण के प्रमुख कार्यकर्ता



श्री पं० रामचन्द्र शर्मा



श्री पं० रामदत्त शुक्ल



श्री पं० रहस बिहारी तिवारी

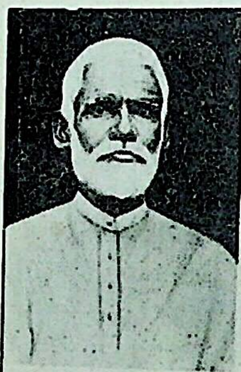


श्री पं० भृगुदत्त तिवारी



श्री पं० देवदत्त वाजपेयी

आर्य समाज गणेशगंज लखनऊ के २०वीं शती के प्रथम तथा द्वितीय चरण के प्रमुख कार्यकर्ता



श्री ठा० कामता सिंह



श्री लाला राम गोपाल



श्री पं० राम नारायण मिश्र



श्री कुं० रणवीरसिंह



श्री बा० राम स्वरूप



श्री बांके लाल निगम

और अत्यन्त उत्साह से कालेज के लिये धन संग्रह का कार्य भी प्रारम्भ हुआ। इस समाज के प्रमुख सदस्यों, श्री राम दुलारे जी बाजपेयी, श्री रामाधार जी बाजपेयी, बा० सरजू प्रसाद जी, श्री केशव राम जी आदि, ने इस के लिये भर-सक प्रयत्न किया। अंग्रेजी तथा हिन्दी में इस समाज द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किये गये और एक पुष्कल धन राशि कालेज ट्रस्ट कमेटी, कानपुर को भेजी गई।

स्वामी जी की पुस्तकों का उर्दू में प्रकाशन—प्रतिनिधि सभा, मेरठ ने एक प्रस्ताव इस सम्बन्ध में किया था कि उर्दू का प्रचार अधिक होने के कारण श्री स्वामी जी की पुस्तकों का उर्दू अनुवाद भी प्रकाशित किया जावे, परन्तु जब इस समाज के अधिकारियों को ज्ञात हुआ कि स्वामी जी की पुस्तकें उर्दू में प्रकाशित हो जावेंगी तो उन्होंने इसका घोर विरोध किया और यह तर्क उपस्थित किया कि श्री स्वामी जी का उद्देश्य देवभाषा का भारत में प्रचार करना था। जब उर्दू में पुस्तकों का अनुवाद होने लगेगा तो हिन्दी भाषा की ओर जनता की प्रवृत्ति न्यून हो जावेगी और उर्दू भाषा का ही उत्तरोत्तर प्रचार बढ़ेगा। इस प्रकार भारत में अपनी संस्कृति का विकास भी मन्द पड़ जावेगा। इस विरोध के पक्ष में कतिपय अन्य समाजों नें भी सहयोग दिया और स्वामी जी कृत पुस्तकों का उर्दू में रूपान्तर करने का प्रतिनिधि सभा का प्रस्ताव कार्य रूपेण परिणत न हो सका और अन्त में प्रतिनिधि सभा को इस समाज का निर्णय ही स्वीकार करना पड़ा।

चुटकी फण्ड की स्थापना—निराश्रितों एवं असहायों की सहायता का पवित्रतम उद्देश्य इस समाज के सदस्यों ने प्रारम्भ से ही पूर्ण किया है। आर्य समाज के सदस्यों ने पवित्र भावनाओं से प्रेरित होकर यह आयोजन किया कि प्रत्येक आर्य अपने-अपने घर में एक घड़ा स्थापित करे और प्रतिदिन नियम पूर्वक कुछ अन्न आवश्यक रूप से उसमें डाल दिया करे जिसका उपयोग परोप-कार में किया जावे। मासान्त में समाज का चपरासी प्रत्येक आर्य के घर में जाकर यह अन्न ले आवेगा और उसके द्वारा निराश्रितों तथा भिक्षुओं को सहा-यता दी जावेगी। इस प्रणाली द्वारा मन और दो मन से भी अधिक अन्न प्रति मास एकत्रित होने लगा और उससे इस समाज ने परोपकार के क्षेत्र को और भी विस्तृत किया। श्रद्धा तथा सेवा की भावनाओं से इस योजना के द्वारा लोगों में जागृति हुई।

महिला उपदेशिका की नियुक्ति—इसी समाज ने सर्वप्रथम १८८८ ई० में स्त्रियों में वैदिक धर्म का प्रचार करने एवं उनमें शिक्षा का प्रसार करने के

लिए महिला उपदेशिका की नियुक्ति की। उपदेशकों की नियुक्ति तो इस समाज ने पूर्व ही कर दी थी, अब स्त्रियों में आर्य धर्म के प्रचार करने की ओर भी इस समाज के अधिकारियों का ध्यान गया। महिला उपदेशिका आर्य बन्धुओं एवं इतर भद्र पुरुषों के गृहों में जाकर सुन्दर भजन व उपदेशों के द्वारा उनके हृदयों में सत्य जीवन और आर्य विचारों के प्रति श्रद्धा का संचार किया करती थीं। इनका एक कार्य यह भी था कि वे साप्ताहिक अधिवेशनों के समय उपस्थित होकर भजन गायन आदि द्वारा स्त्रियोपयोगी बातों का उपदेश भी देती थीं।

स्थानीय काल्विन कालेज का इस समाज द्वारा प्रबन्ध--समाज की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई संगठित शक्ति एवं इस समाज के सभासदों की सत्यनिष्ठा तथा कर्तव्यपरायणता से प्रभावित हो काल्विन स्कूल के मन्त्री महोदय ने सन् १८८८ में इस समाज के अधिकारियों से प्रार्थना की कि वे उक्त स्कूल के संचालन का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लें। यह स्कूल उस समय ईसाइयों के अधिकार में था और उसमें बालक प्रायः ईसाई धर्म की ही शिक्षा प्राप्त करते थे। समाज ने अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेने से पूर्व स्पष्ट रूप से मंत्री महोदय के पास लिखकर भेजा कि निम्नलिखित शर्तों के पालन करने पर ही समाज इसका प्रबन्ध कर सकता है:--

(१) कालेज प्रारम्भ होने के पूर्व आधे घण्टे तक प्रत्येक बालक को अनिवार्य तथा आवश्यक रूप से बाइबिल के स्थान पर संध्या तथा आर्य समाज के सिद्धान्तों का अध्ययन करना होगा।

(२) प्रत्येक बालक को नागरी पढ़ना आवश्यक होगा। यदि किसी बालक की मातृ-भाषा परशियन है तो उसको भी कुछ काल में संध्या तथा गायत्री पढ़ने की योग्यता अवश्य प्राप्त करनी होगी।

(३) प्रत्येक अध्यापक तथा विद्यार्थी को प्रति रविवार को समाज में आना आवश्यक होगा।

(४) प्रारम्भ में छः महीने के परीक्षण के रूप में ही आर्य समाज इसका उत्तरदायित्व ले सकता है।

इन शर्तों को काल्विन कालेज के मन्त्री महोदय ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया और आर्य समाज ने पं० तुलसी राम जी को धर्मोपदेशक के रूप में प्रतिदिन संध्या आदि सिखाने के लिए वहाँ भेजा। बाद में १६

नवम्बर १८८८ में उक्त स्कूल समाज के मन्दिर में आ गया।

परन्तु समाज के पास अपना भवन न होने के कारण तथा स्कूल के प्रबन्ध के कारण सामाजिक कार्यों में शिथिलता आ जाने के कारण अधिक दिनों तक इसका नियंत्रण करने में अपनी असमर्थता प्रकट की। आर्य पुरुषों का ध्यान अब समाज का अपना विशाल भवन बनवाने की ओर था। अतः छः मास के उपरान्त पुनः प्रार्थना करने पर भी समाज ने इसका प्रबन्ध करने के प्रति अपना खेद प्रकट कर दिया।

टेक्निकल कालेज की स्थापना का प्रस्ताव—अब से लगभग सत्तर वर्ष पूर्व इसी समाज ने कदाचित् भारत में सर्व प्रथम युवकों को टेक्निकल शिक्षा देने के लिए एक टेक्निकल कालेज की स्थापना का निश्चय अपनी ११ दिसम्बर १८८६ की अंतरंग सभा में किया था। कला-कौशल की शिक्षा द्वारा भारतीय युवक स्वावलम्बी बन सकें और उनमें आत्म-निर्भरता की भावनाओं का भी संचार हो इस पवित्र उद्देश्य की सिद्धि के लिये यह आवश्यक था कि एक कालेज खोला जाता। इस के लिए पर्याप्त धन संग्रह भी किया गया, परन्तु स्थानाभाव के कारण यह प्रस्ताव भी कुछ वर्षों तक कार्यान्वित न हो सका। बाद में आर्य समाज ने एक विशाल टेलरिंग (सिलाई) स्कूल की स्थापना की जो आज भी लखनऊ में एक गण्यमान्य संस्था है।

अवध प्रान्त में डी० ए० वी० कालेज की स्थापना—इस समाज की नीति प्रारम्भ से ही शिक्षा प्रसार की ओर विशेष रूप से रही है और विभिन्न क्षेत्रों में अपने क्रियात्मक सहयोग द्वारा भारत की सर्वतोमुखी उन्नति में सहयोग दिया है। १८९७ के लगभग परोपकारिणी सभा तथा वैदिक यन्त्रालय के अधिकारियों में कुछ मनोमालिन्य हो गया था उसको इसी समाज ने दूर किया था। इसके साथ ही जब इसका ध्यान अवध प्रान्त की ओर गया और इस समाज की अंतरंग सभा ने जो १६ मार्च सन् १८९२ को हुई थी यह निश्चय किया कि अवध प्रान्त में शीघ्र ही एक डी० ए० वी० कालेज की स्थापना की जावे और इसके लिए सर्व प्रथम सदस्य—

१—श्री सुखमंगल जी मिश्र।

२—श्री रामदुलारे जी बाजपेयी।

३—श्री महेश्वरी लाल जी।

४—श्री शिवदयाल सिंह जी (फैजाबाद)।

नियुक्त किये गये। बाद में यह विचार सन् १६१८ में कार्यरूप में परिणत हो गया और इसी समाज ने स्थानीय डी० ए० वी० स्कूल की स्थापना की जो कि सम्प्रति उपाधि कक्षाओं की शिक्षा प्रदान कर रहा है और प्रान्त की उच्च कोटि की संस्थाओं में अपना स्थान रखता है।

अमेरिका की प्रथम धार्मिक सभा में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में इस समाज का प्रस्ताव—सन् १८६३ में अमेरिका में विश्व के सम्पूर्ण धार्मिक स्त्री पुरुषों की एक विशाल परिषद् का आयोजन किया गया था। सभी धर्मों के प्रतिनिधि इस समिति में आमन्त्रित किए गए थे। अतः वैदिक धर्म को प्रतिपादित करने वाले सज्जन भी उस समिति में सम्मिलित हों यह निर्णय इस संस्था ने किया और इसकी सूचना प्रतिनिधि सभा और परोपकारिणी सभा को भी देने का निश्चय किया।

इस समाज ने यह भी निश्चय किया कि इस कार्य के लिए १५०००) व्यय किया जावे और सत्यार्थ प्रकाश तथा ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका का अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित किया जावे। इस व्यय का आधा परोपकारिणी सभा देवे और आधा पंजाब, संयुक्त प्रान्त, बंगाल, राजपूताना तथा बम्बई प्रान्त की सभायें देवें। यह निर्णय इस सभा ने अपनी २६ मई सन् १८६२ की अंतरंग सभा में किया और तद्नुसार निम्न व्यक्तियों के नाम उस समिति में सम्मिलित होने के लिए प्रस्तावित किये गये—

१—श्री स्वामी भास्करानन्द जी जो सम्प्रति अमेरिका में ही हैं, उनको वैदिक धर्म को प्रतिपादित करने के लिए चुन लिया जावे।

इसके साथ ही:—

२—श्री लाला लाजपत राय जी।

३—श्री पं० भीमसेन जी।

४—श्री पं० मुन्शी राम जी।

५— श्री स्वामी नित्यानन्द जी।

६—श्री दुर्गा प्रसाद जी।

७—श्री पं० लेखराम जी।

८—श्री लाला मूलराम जी।

इनमें से परोपकारिणी सभा जिन तीन सदस्यों को मनोनीत करे उनको चुन कर भिजवाये और सम्पूर्ण व्यय आर्य समाजें वहन करें।

इस सम्मेलन में श्री स्वामी भास्करानन्द जी और श्री स्वामी नित्यानन्द जी के उपदेशों तथा व्याख्यानों का अमेरिका में अत्यन्त प्रभाव पड़ा और अमेरिका में उक्त दोनों सज्जनों के अन्य स्थानों पर भी अनेक व्याख्यान कराये गये।

भक्ष्याभक्ष्य के सम्बन्ध में इस समाज का दृढ़ निश्चय—सन् १८९१ तथा १८९२ में पंजाब प्रान्त के आर्य पुरुषों में मासंभक्षण के प्रश्न को लेकर बहुत दिनों तक उग्र विवाद चलता रहा। इस वादविवाद का परिणाम यह हुआ कि पंजाब में "घास पार्टी" तथा "मांस पार्टी" नाम के दो दल हो गये। एक पक्ष का कहना था कि मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति भी आर्य समाज का सभासद् हो सकता है और दूसरे पक्ष का कहना था कि मांसाहारी व्यक्ति समाज का सभासद् नहीं हो सकता। अप्रत्यक्ष रूप से इस विवाद को ही लेकर पंजाब में 'गुरुकुल पार्टी' तथा 'कालेज पार्टी' का भी जन्म हुआ। इस विवाद का प्रच्छन्न प्रभाव संयुक्त प्रान्त के सभासदों पर भी होने लगा। ऐसे समय में इस समाज ने दृढ़ तथा अविचल शब्दों में मांस भक्षण नहीं करना चाहिये यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत किया और १२ अगस्त १८९३ को निम्नस्थ प्रस्ताव अपनी अन्तरंग सभा द्वारा पंजाब, युक्त प्रान्त तथा अन्य स्थानों की सभाओं के नाम भेजा—

"आज कल पंजाब प्रान्त में भक्ष्याभक्ष्य विषय पर जो आन्दोलन हो रहा है वह किसी व्यक्ति विशेष को ही हानि कारक नहीं परन्तु आर्य अर्थात् वैदिक धर्मावलम्बियों को भारी धक्का पहुँचानें वाला है। मांस भक्षण का निषेध केवल श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी अपने उपदेशों में ही नहीं करते थे अपितु परम माननीय वेदों में भी उसका निषेध ही है इस लिये जो आर्य धर्माभिमानी मांस खाने का उपदेश करें उसके लिये लखनऊ आर्य समाज की अंतरंग सभा अपने रिजोल्युशन में पास करती है कि वह पुरुष आर्य समाज का सभासद् कदापि न समझा जावे।"

इस समाज ने प्रस्ताव स्वीकृत करने के साथ ही भारत की समस्त प्रतिनिधि सभाओं से अनुरोध किया कि पंजाब प्रान्त के इन आर्य धर्माभिमानी व्यक्तियों के प्रति अनुशासन की कार्यवाही की जावे।

उपर्युक्त विचारों से स्पष्ट है कि यह आर्य समाज सिद्धान्तों की सत्यता पर प्रारम्भ से ही कितना दृढ़ रहा है और किस प्रकार यहां के सभासद् अन्याय और असत्य के विरोधी रहे हैं और उन्होंने अपनी निष्पक्ष सम्मति देने में कभी भी संकोच नहीं किया है।

सार्वभौमिक सभा स्थापित करने का सर्व प्रथम प्रस्ताव—'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्' की उदार तथा महत् भावनाओं से प्रेरित हो कर इस समाज के सदस्यों में यह विचार उत्पन्न हुआ कि जिस प्रकार प्रान्त की विभिन्न समाजें अनुशासन को दृढ़ करने के लिये प्रान्त में एक प्रतिनिधि सभा की स्थापना करती हैं उसी प्रकार सम्पूर्ण प्रतिनिधि सभाओं एवं देश विदेश में सभाओं को स्थापित तथा संचालित करने के लिये एक सार्वभौमिक सभा (सम्प्रति सार्वदेशिक सभा) की महती आवश्यकता है। इस प्रकार की सभा की आवश्यकता का अनुभव प्रायः प्रत्येक उत्साही पुरुष बहुत समय से कर रहा था परन्तु इस विचार को सामूहिक क्रियात्मक रूप नहीं प्राप्त हुआ था। अतः इसी समाज ने सर्व प्रथम प्रस्ताव किया कि एक सार्वभौमिक सभा की स्थापना की जावे जो सब प्रतिनिधि सभाओं का तथा विदेशों में स्थापित किये गये समाजों का नियन्त्रण करें।

पं० लेखराम स्मारक निधि का महत्त्व पूर्ण प्रस्ताव—१४ मार्च सन् १८९७ को इस समाज ने निश्चय किया कि अमर शहीद पं० लेखराम जी की सेवाओं के उपलक्ष्य में एक गौरव पूर्ण स्मारक स्थापित किया जावे और इसके लिये इस समाज ने सर्व प्रथम अपने निश्चय को प्रतिनिधि सभा के पास भेजा। समाज के कार्यकर्ताओं ने एक पुष्कल धन राशि इस स्मारक के निर्माण के लिये एकत्रित करने का दृढ़ संकल्प किया।

आर्य समाज द्वारा बा० सर्यू दयाल जी के उदार दान पर आभार प्रदर्शन—आर्य समाज की आधार शिला रखने वालों में श्री बाबू सर्यूदयाल जी का एक प्रमुख स्थान है ? आप समाज के संस्थापकों में एक हैं। आपने अपने मकान की वसीयत आर्य समाज गणेश गंज के नाम कर दी थी। इस पर ९ मार्च १८९९ की अंतरंग सभा ने आपको हार्दिक धन्यवाद दिया और आपसे प्रार्थना की कि कृपा करके जब तक समाज चाहे आप मंत्री पद पर रहें। श्री बाबू जी ने इस प्रस्ताव को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया।

आर्य मित्र पत्र का प्रकाशन और उसकी ग्राहकता—सन् १८९९ में प्रान्त की प्रतिनिधि सभा ने अपना मुख्य पत्र आर्य मित्र प्रकाशित करने का शुभ संकल्प किया और सभाओं की उदार सहायता के विश्वास पर इसी वर्ष इस का प्रकाशन भी प्रारम्भ हो गया। इस समाज द्वारा भी प्रतिनिधि सभा को पर्याप्त सहायता दी गयी और आर्य समाज लखनऊ तभी से इस पत्र का ग्राहक है।

आर्य समाज के सम्मुख वाली भूमि का प्रश्न—लखनऊ म्युनिसिपैलिटी के

द्वारा यह प्रस्ताव किया गया कि आर्य समाज के सामने की भूमि किराये पर उठायी जावे। इस पर इस समाज के सदस्यों ने अंतरंग सभा द्वारा यह निश्चय किया कि शासन से प्रार्थना की जावे कि वह इस जमीन को किसी को किराये पर न उठावें, क्योंकि ऐसा करने से समाज के उत्सव तथा विशेष व्याख्यानादि कराने में असुविधा होगी। अभी तक समाज इस जमीन पर अपने उत्सव आदि का आयोजन करता था। फलतः इस आशय का एक प्रार्थना पत्र भेजा गया कि यह जमीन सार्वजनिक कार्यों के लिये रिक्त ही छोड़ दी जावे और यदि यह किराये पर उठाई ही जावे तो आर्य समाज को किराये पर दे दी जावे। समाज की प्रार्थना के अनुसार यह जमीन किराये पर न उठाई गई और इसी स्थान पर कमिश्नर जार्पलिंग के नाम पर जार्पलिंग पार्क बना दिया गया।

आर्य कुमार सभा की स्थापना--नवयुवकों तथा बालकों में आर्य संस्कृति तथा वैदिक धर्म के प्रति प्रेम का प्रसार करने के लिये इस समाज के अधिकारियों ने निश्चय किया कि आर्य कुमार सभा की स्थापना की जावे जिसमें १८ वर्ष तक के नवयुवक सम्मिलित हों। आर्य कुमार सभा के अधिवेशन आर्य समाज में हो सकते हैं और आर्य कुमार सभा को आर्य समाज के अंतरंग के नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। आर्य कुमार सभा की सर्व प्रथम स्थापना ३ अक्तूबर १९०२ को हुई।

समाज द्वारा भजन मण्डली की स्थापना--२५ वर्ष समाप्त करने के उपरान्त आर्य समाज का प्रचार कार्य नगर में ही सीमित न रहा अपितु लखनऊ के जिले में भी इस समाज ने प्रचार कार्य की आयोजना की। मेलों तथा भिन्न-भिन्न समाजों में प्रचार के लिये भजनीकों की आवश्यकता का अनुभव इस समाज ने किया और सन् १९०५ में एक भजन मण्डली की स्थापना की। आर्य समाज की वेदी से गाये जाने वाले भजनों का जनता में अधिक प्रभाव पड़ा और भजनोपदेशों द्वारा स्थान-स्थान पर (नगर के चौराहों पर) भी प्रचार की आयोजना की गयी।

वेद प्रचार फण्ड में सहयोग--श्रीमती आर्य प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त ने भी वेद प्रचार की योजना को संचालित किया। अनेक उपदेशक प्रचार करने के लिये नियुक्त किये गये। समाजों के उत्सवों में उपदेशक गण जाते थे और वैदिक धर्म का प्रचार करते थे। इस समाज ने प्रतिनिधि सभा को इस शुभ कार्य के लिये धन्यवाद दिया और १५०) की आर्थिक सहायता भी सन् १९०५ में प्रदान की। इन उपदेशकों ने स्थान-स्थान पर ईसाइयों तथा

मुसलमानों से धार्मिक शास्त्रार्थ भी करना प्रारम्भ किया और इस समाज द्वारा भी ऐसे शास्त्रार्थों की आयोजना सर्व प्रथम इसी वर्ष से प्रारम्भ की गयी।

स्थानीय मेडिकल कालेज की स्थापना में आर्य समाज का सहयोग—सन् १९०६ में सरकार ने निश्चय किया कि लखनऊ में डाक्टरी की शिक्षा देने के लिये एक कालेज की स्थापना की जावे। स्थानीय भद्र पुरुषों का सहयोग भी सरकार ने प्राप्त किया और आर्य समाज को भी इस पवित्र कार्य में सहयोग देने के लिये आमन्त्रित किया। आर्य समाज की अंतरंग सभा ने इस प्रस्ताव का हार्दिक स्वागत किया और इसके लिये पर्याप्त धन की सहायता इस कालेज के लिये प्रदान की गई।

समाज के लिये ट्रस्ट का निर्माण—आर्य समाज गणेश गंज की सुरक्षा के लिये कार्यकर्ताओं ने यह उचित समझा कि इस समाज पर भविष्य में किसी एक व्यक्ति का आधिपत्य न हो तथा यह सार्वजनिक संस्था बनी रहे अतः कुछ व्यक्तियों का ट्रस्ट बना कर उनके नाम पर इसको कर दिया जावे। फलतः कुछ सदस्य ट्रस्टी बनाये गये। कालान्तर में इस समाज ने विचार किया कि इस समाज को आर्य प्रतिनिधि सभा के नाम से रजिस्टर्ड कर दिया जावे अथवा डी० ए० वी० कालेज ट्रस्ट कानपुर के नाम रजिस्टर्ड कर दिया जावे। चिर काल तक इस विषय में वाद विवाद चलता रहा। परन्तु आगे चल कर समाज के अधिकारियों ने इसको किसी अन्य संस्था के हाथों रजिस्टर्ड न किया और इस समाज की रक्षा तथा अधिकार का प्रवन्ध समाज की अंतरंग सभा एवं आर्य सभासदों पर ही अवलम्बित रहा।

नगर की सड़कों पर लगे पथ प्रदर्शक पत्थरों पर हिन्दी भाषा में भी नाम लिखने का आंदोलन—आर्य समाज की सुधार दिशा का प्रयत्न सदैव से सर्वतोमुख रहा है। छोटी-छोटी सुधार सम्बन्धी आयोजनाओं के प्रति भी यह आर्य समाज सदैव सतर्क रहा है। नगर की सड़कों पर जो पथ-प्रदर्शक पत्थर शासन द्वारा लगाये गये थे वे केवल अंग्रेजी और उर्दू भाषा में ही थे। सभी व्यक्ति इनको पढ़ते थे, परन्तु किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं आता था कि यह पत्थर जिन व्यक्तियों के लिए पथ-निर्देश के लिए लगाये गये हैं उनमें एक प्रतिशत भी अंग्रेजी जानने वाले नहीं हैं। अतः सर्व प्रथम युक्त प्रात में इसी आर्य समाज ने नगर के शासकों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया और इस बात का अनुभव किया कि हिन्दी भाषा के प्रति इतनी उपेक्षा क्यों की जा रही है। फलतः २३ मई १९०७ को इस समाज की अंतरंग सभा में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत करके म्युनिसिपैलटी के पास भेजा गया।

"मोहल्लों की गलियों के सिरे पर जो साइन बोर्ड अंग्रेजी और उर्दू में लिख कर लगाये हैं उस से हिन्दी पढ़ने वालों (जैसे ग्रामीण पुरुषों और नगर के महाजनों) की दिक्कत जैसी की तैसी बनी रही। अर्थात् वे उससे मुहल्ले का नाम तथा पता न जान सकते हैं। उत्तम हो कि हिन्दी में भी लिखा जावे वरन् अंग्रेजी की ऐसी जरूरत नहीं है कि चाहे नहीं भी हो।" सत्य तथा न्याय पर आश्रित इस का प्रभाव इस समय प्रत्यक्ष उपलब्ध हो रहा है। इस प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप म्युनिसपैलिटी की ओर से यह उत्तर आया कि भविष्य में पथ निर्देशक पत्थरों पर हिन्दी में भी लिखा रहेगा।

पं० राम दुलारे जी बाजपेयी तथा बाबू सरयू दयाल जी की अनुपम उदारता—आर्य समाज के सम्मुख मन्दिर निर्माण का प्रश्न था। परन्तु धनाभाव के कारण सामाजिक पुरुषों का उत्साह फलप्रद नहीं हो रहा था। ऐसे विकट समय में इन दोनों सज्जनों ने आश्वासन दिया और कहा कि समाज मन्दिर तो बनना ही है और शीघ्र ही बनना चाहिए, इसके लिए समाज को यदि कुछ ऋण भी लेना पड़े तो सम्प्रति ले लेना चाहिए। अतः समाज को ३०००) रु० का ऋण लेना पड़ा। अब प्रश्न यह था कि ऋण चुकाया कैसे जाय। तब इन दोनों ही सज्जनों ने इस ऋण का पूर्ण उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और प्रतिज्ञा की कि यदि समाज इस धन को देने में असमर्थ होगा तो वे स्वयं इस धन को चुका देंगे। इसके लिए उक्त दोनों सज्जनों को धन्यवाद दिया गया कि आर्य समाज के सदस्यों ने अत्यन्त उत्साह पूर्वक इस शुभ कार्य के लिये अपनी एक मास की सम्पूर्ण आय प्रदान की और धन संग्रह का कार्य भी किया, जिसके कारण शीघ्र ही यह ऋण आर्य सयाज ने चुका दिया।

श्री पं० केशव राम विष्णु लाल पाण्डया जी को पुरस्कार—समाज मन्दिर के निर्माण कार्य में प्रायः सभी आर्य पुरुषों ने दत्तचित होकर कार्य किया और १९१० से यह समाज इस रूप में हो गया कि सम्पूर्ण कार्य सुगमता से चल सकें। इस के लिये आर्य समाज ने सभी महापुरुषों को हार्दिक धन्यवाद दिया। श्री पं० केशव राम जी प्रारम्भ से ही इस समाज निर्माण कार्य में अथक परिश्रम कर रहे थे। आपने ही अनेक वर्षों तक मन्त्री तथा उपप्रधान के पद पर रह कर आर्य समाज की सेवा की थी। आप के उद्योग से आर्य समाज की रजत जयन्ती के अवसर पर आर्य समाज का इतिहास भी प्रकाशित हुआ था। अतः समाज ने आपको विशेष रूप से धन्यवाद दिया और अंतरंग सभा ने निश्चय किया कि आपको आपकी समाज सेवाओं के लिए अवश्य पुरस्कार प्रदान किया जावे।

श्री पं० भगवान दीन जी का स्वर्गवास तथा आर्य समाज लखनऊ--४-६-१९१२ को फर्रुखाबाद में गुरुकुल वृन्दाबन के अधिष्ठाता पं० भगवान दीन जी का वृन्दावन में देहावसान हो गया। श्री पं० जी आर्य प्रतिनिधि सभा के अनेक वर्षों तक प्रधान तथा मन्त्री रह चुके थे। आप का सम्पूर्ण जीवन आर्य सामाजिक कार्यों में ही व्यतीत होता था। आर्य प्रतिनिधि सभा का सुदृढ़ संगठन भी आपने ही किया था। इस समाज ने उनकी मृत्यु पर अपनी समाज का एक नैमित्तिक अधिवेशन ९ जून १९१२ को किया और निश्चय किया कि पंडित जी की सेवाओं के अनुरूप एक उत्तम स्मारक भी निर्मित किया जावे और यदि प्रतिनिधि सभा स्मारक न बनवा सके तो वह इस सभा को अधिकार दे कि यह उनका उचित स्मारक बनवा दे। इस सभा का यह निश्चय इस बात का प्रमाण है कि गणेशगंज आर्यसमाज समाज के सेवकों की सेवाओं को कितना गौरव तथा महत्त्व प्रदान करता था। प्रतिनिधि सभा ने स्वयं ही श्री पण्डित जी के नाम को चिरस्थायी करने के लिये अपने प्रेस का नाम 'भगवान दीन आर्य भास्कर प्रेस' रख दिया था और वह अद्यावधि चल रहा है।

स्वाध्याय-शाला की स्थापना---आर्य समाज के सदस्यों में अध्ययन शीलता की प्रवृत्ति को जागृत करने तथा समाज के मन्तंव्यों एवं सिद्धान्तों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कराने के लिये सदस्यों ने यह निश्चय किया कि परस्पर विचारों का आदान-प्रदान करने तथा वैदिक ग्रन्थों का स्वाध्याय करने के लिए "स्वाध्याय-शाला" की स्थापना की जावे और प्रत्येक सदस्य समय निकाल कर इस स्वाध्याय शाला में आकर ग्रन्थों का मनन करे, जिससे स्वाध्याय की परम्परा बनी रहे। नवीन भावों तथा विचारों का उन्नयन करना इस स्वाध्याय शाला का उद्देश्य था। सन् १९१२ में आर्य समाज भवन में ही इसकी स्थापना की गई।

आर्य सभासदों के आवश्यक कर्तव्य---इस आर्य समाज ने अपने सदस्यों में आर्य प्रवृत्ति का प्रचार करने के लिए यह आवश्यक समझा कि निर्वाचन के लिये या केवल पद ग्रहण करने के लिए बारह मास का मासिक चन्दा देना ही आर्य सभासद बनने के लिये पर्याप्त नहीं है अपितु उसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि वह सदस्य निम्नांकित नियमों का भी भली प्रकार पालन करे जिससे प्रतीत हो कि वह आचार विचारों द्वारा भी क्रियात्मक आर्यशीलता का परिचय देता है और अपना प्रभाव समाज में स्थापित करता है। ये नियम समाज ने अपनी १६-९-१९१२ की सभा में निर्मित किये।

१---उस सदस्य का आचरण समाज के उद्देश्यों के अनुसार है या नहीं ?

२—क्या वह सदस्य अपने घर में संस्कार (मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह आदि) संस्कार विधि में प्रतिपादित विधि के अनुसार करता है ?

३—क्या वह प्रतिदिन दोनों समय संध्योपासन करता है ?

४—मूर्ति पूजा, श्राद्ध, तीर्थ स्थानों पर जाना, रोजा नमाज रखना, मन्त्र लेना तथा देना आदि अवैदिक विधियों को तो नहीं करता ?

यदि किसी सदस्य में इन नियमों का आचरण न हो तो वह चन्दा देने पर भी आर्य सभासद् नहीं हो सकता और न वह निर्वाचन में भाग ले सकता है। आर्य समाज के सदस्यों की कर्तव्य निष्ठा और आर्य-धर्म-प्रेम का यह ज्वलन्त उदाहरण है।

वैदिक विद्वान पं० शिव शंकर शर्मा काव्यतीर्थ के प्रति इस समाज द्वारा सहायता—अपने प्रचार कार्य के अतिरिक्त इस समाज ने समाज के कार्य कर्ताओं को समय समय पर सहायता प्रदान की है। मुन्शी इन्द्रमणि जी पर चलाये गये अभियोग में इस समाज ने पहले सहायता की ही थी। अब पं० शिव शंकर शर्मा के रोगग्रस्त होने पर इस समाज ने अत्यन्त उदारता पूर्वक उनकी सहायता की। उनके भोजन तथा रहन सहन आदि का प्रबन्ध तो समाज ने किया ही। इसके साथ ही उनको १०) रु० प्रति मास की सहायता भी उनकी रुग्णावस्था में बराबर करता रहा। पण्डित जी वेदों के विद्वान् तथा संस्कृत के उद्भट ज्ञाता थे। आपने इसी समाज के तत्वावधान में पं० जगत प्रसाद जी से वेदों के सम्बन्ध में शास्त्रार्थ भी किये थे।

आर्य समाज के प्रमुख संस्थापक पं० रामाधार जी बाजपेयी का स्वर्ग-वास—इतिहास के पढ़ने से आप को अवगत हुआ होगा कि इस समाज की स्थापना के समय पं० रामाधार जी बाजपेयी इस समाज के उपप्रधान थे और निरन्तर १८८० से १८८६ तक इस पद पर आभूषित रहे। समाज का कोई भी ऐसा कार्य नहीं था जिसमें आपका सक्रिय सहयोग न होता हो। संकटों के समय आप ने ही आर्य समाज को प्रगतिशील बनाया था। आपका २४ दिसम्बर १९१२ को स्वर्गवास हो गया। समाज ने अपने नैमित्तिक वृहदधिवेशन में आप की मृत्यु पर हार्दिक शोक प्रकट किया और आपके छोटे भाई श्रीपं० राम दुलारे बाजपेयी को (जो समाज के प्रमुख कार्यकर्ता तथा वर्षों तक प्रधान रहे थे) सहानुभूति पूर्ण पत्र भेजा।

समाज का अमानत नामा—समाज भवन की सुरक्षा का प्रश्न समाज के

सदस्यों के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ। समाज के कार्यकर्ताओं ने सोचा कि भविष्य में इस समाज पर किसी विशेष व्यक्ति द्वारा अधिकार न हो जावे अतः इसको अमानत के रूप में आर्य प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त अथवा डी० ए० वी० कालेज ट्रस्ट कानपुर के पास रख दिया जावे परन्तु अंतरंग सभा ने अपने अधिवेशन में सोच विचार कर इस निश्चय को बदल दिया और समाज को उसकी अपनी अंतरंग सभा की अध्यक्षता में ही पूर्ण सुरक्षित समझा।

जार्ज तिलकोत्सव स्मारक पुस्तकालय—आर्य समाज ने १२ दिसम्बर १९१३ को समाज भवन में ही इस पुस्तकालय की स्थापना की। इसके नियम भी निर्धारित किये गये। जार्ज पंचम के राज तिलक के स्मारक स्वरूप इस पुस्तकालय का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखना आर्यसमाज ने निश्चित किया। इस पुस्तकालय में वैदिक साहित्य की प्रायः सभी पुस्तकों का संकलन किया गया था और सामयिक समाचार पत्र भी मँगाये जाते थे।

जार्ज नाइट स्कूल की स्थापना—गणेश गंज के निर्धन तथा शिक्षा प्रेमी बालकों की शिक्षा देने की व्यवस्था इस समाज ने की और इसके लिए रात्रि पाठशाला की स्थापना की। यह रात्रि पाठशाला कुछ समय तक तो निःशुल्क रूप में चलती रही, जिसमें समाज के ऊपर के भाग में विद्यार्थी पढ़ा करते थे, परन्तु कालान्तर में स्कूल के अधिकारियों ने बालकों से शुल्क लेना भी प्रारम्भ कर दिया। इस पर समाज के सदस्यों ने कहा कि समाज के मन्दिर में स्थापित पाठशाला में शुल्क कुछ भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि समाज को कोई व्यवसाय नहीं करना है। अतः कुछ दिनों के उपरान्त इस पाठशाला को समाज से हटा दिया गया।

स्त्री समाज की स्थापना—पिछले वर्षों में आर्यसमाज ने स्त्रियों में प्रचार कार्य करने के लिये एक महिला उपदेशिका की नियुक्ति की थी। अब स्त्रियों में आर्य विचारों की महिलाओं की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ रही थी। इसलिये यह आवश्यक था कि स्त्री समाज की भी स्थापना की जावे। फलतः १९१३ में आर्यसमाज में ही स्त्री समाज की स्थापना की गयी। स्त्री समाज के साप्ताहिक अधिवेशनों का कार्य-क्रम वही होता था जो कि आर्यसमाज के सत्संगों का। हां, इसमें वेद कथा के स्थान पर सत्यार्थ प्रकाश की कथा होती थी।

स्थानीय थोवर्न कालेज में धर्म शिक्षा देने की व्यवस्था का आयोजन—थावर्न कालेज के व्यवस्थापक महोदय का एक प्रार्थना पत्र आर्यप्रतिनिधि सभा

में आया था जिसका आशय यह था कि कालेज में पढ़नेवाली हिन्दू बालिकाओं को धार्मिक शिक्षा देने के लिये आप कोई प्रबन्ध कर दें। प्रतिनिधि सभा ने इस समाज से निवेदन किया कि वह इसका प्रबन्ध करने का प्रयत्न करे। फलतः इस समाज ने निश्चय किया कि उसका प्रबन्ध अवश्य होना चाहिये और इस कार्य के लिये श्री पं० रामचन्द्र जी त्रिपाठी को नियुक्त किया कि वे कालेज में स्वयं जाकर इस बात का पता लगायें कि कालेज में आर्य विचारों की कितनी बालिकायें हैं और सूचना मिलने पर आर्यसमाज इसका प्रबन्ध करे।

सदस्यों का नगर के चार क्षेत्रों में विभाजन--प्रचार कार्य की सुविधा एवं समाज के संगठन को सुदृढ़ करने के लिए यह निश्चय किया गया कि सम्पूर्ण नगर के मोहल्लों को चार क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जावे और विभिन्न क्षेत्रों के सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में समाज के कार्य को विस्तृत करने का प्रयत्न करें।

गणेशगंज क्षेत्र में--अमीनाबाद, फतेहगंज, नाका हिंडोला, मवैया तथा सेन्ट्रल जेल।

मकबूलगंज क्षेत्र में--हुसैनगंज, हिवेट रोड, गंगनी शुक्ल का तालाब तथा सदर।

हजरतगंज क्षेत्र में--मेडिकल कालेज, नरही, टी० एन० आफिस।

बिरहाना क्षेत्र में--बशीरतगंज, दुगावां, मशकगंज, रकाबगंज, जुबली स्कूल तथा रानी कटरा।

यह भी निश्चय हुआ कि विभिन्न क्षेत्रों के सदस्य अपने-अपने क्षेत्र की गति विधि की सूचनायें समाज को यथा समय देते रहें।

कन्या पाठशाला की स्थापना--सन् १९१४-१५ में आर्यसमाज ने निश्चय किया कि समाज को स्त्री शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देना चाहिये, क्योंकि अभी तक लखनऊ शहर में विशेष कर गणेशगंज मुहल्ले में कन्याओं की शिक्षा के लिये कोई प्रबन्ध नहीं था। अतः निश्चय हुआ कि गणेशगंज में ही कन्या पाठशाला की स्थापना की जावे। इस निश्चय के अनुसार कन्या पाठशाला की स्थापना की गयी।

दयानन्दाश्रम की स्थापना--इसी वर्ष समाज ने यह भी निश्चय किया

कि असहायों तथा अनाथों की रक्षा के लिए दयानन्दाश्रम की भी स्थापना की जावे तथा साथ ही विधवा आश्रम की भी स्थापना होनी चाहिए। फल-स्वरूप गणेश गंज में ही एक मकान किराये पर लेना निश्चय हुआ और उसमें विधवा आश्रम की स्थापना की गयी। अनाश्रित महिलाओं को इस आश्रम में स्थान दिया जाता था और उनकी इच्छानुसार उनके योग्य विवाह सम्बन्ध भी इसी आश्रम के तत्ववाधान में होते थे।

डी० ए० वी० हाई स्कूल की स्थापना--समाज ने इसी वर्ष यह भी निश्चय किया कि लखनऊ नगर म बालकों की शिक्षा का प्रसार करने तथा वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए डी० ए० वी० स्कूल की स्थापना की जावे। समाज का यह निश्चय ४ जुलाई १९१८ को कार्यरूप में परिणत हुआ।

समाज के प्रसिद्ध विद्वान् पण्डित तुलसी राम जी स्वामी के निधन पर शोक--आर्य समाज के प्रसिद्ध विद्वान् तथा सामवेद के भाष्यकार पं० तुलसी राम जी का स्वर्गवास २५ जुलाई १९१५ को हो गया। श्री पण्डित जी अनेक अवसरों पर इस समाज में आये थे और अपने मनोहर उपदेशों से जनता में पूर्ण प्रभाव स्थापित किया था। आर्य समाज ने अपने नैमित्तिक बृहदधिवेशन में उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट किया और उनके दुःखित परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करने के अनन्तर उनकी आत्मा की शान्ति के लिये परमात्मा से प्रार्थना की।

१९१५ की बाढ़ में इस समाज की अभूतपूर्व सहायता--सन् १९१५ के अगस्त तथा सितम्बर के महीने में गोमती नदी में भयंकर बाढ़ आई जिसके फल स्वरूप प्रायः $\frac{1}{3}$ लखनऊ जलमग्न हो गया। हजारों की संख्या में मकान गिर गये। सैकड़ों व्यक्ति निराश्रित होकर इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। ऐसे समय समाज ने भोजन, वस्त्र तथा द्रव्य से बाढ़ पीड़ितों की प्रशंसनीय सेवा की और संपूर्ण शहर में इस बात का ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिस व्यक्ति को रहने का स्थान न मिले वह समाज मन्दिर में रहे। सैकड़ों व्यक्ति समाज में आकर रहे। इस समाज ने इस कार्य के लिए निम्नलिखित सज्जनों की एक उपसमिति बना दी जो लखनऊ के सम्पूर्ण मोहल्लों में जा जा कर बाढ़ पीड़ितों की सहायता का प्रबन्ध करती थी।

श्री डा० उमराव सिंह जी (२) पं० रहस बिहारी जी तिवारी (३) श्री भगवान स्वरूप जी (४) श्री जगन्नाथ प्रसाद जी (५) डा० इन्द्रमणि जी।

महाशय अशर्फी लाल जी के मकान की समाज को प्राप्ति—श्री अशर्फी लाल जी ने जो इस समाज के प्रमुख सहायक तथा सदस्य थे, अपना गणेश गंज में स्थित मकान आर्य समाज को दान स्वरूप लिख दिया और आर्य समाज ने उनको उनके जीवन पर्यन्त ४) प्रतिमास देने का निश्चय किया।

जिला उपप्रतिनिधि सभा की स्थापना—१९१५ में ही आर्य समाज ने यह भी निश्चय किया कि जिले की समाजों को परस्पर संगठित करने के लिए जिला उप-प्रतिनिधि सभा की भी स्थापना की जावे। इसके द्वारा ही समाज ने सम्पूर्ण जिले में वैदिक धर्म के प्रचार का भी आयोजन किया। न केवल नगर की ही अपितु जिले की सम्पूर्ण समाजें इसमें अनिवार्य रूप से सम्मिलित की गईं और इसके अधिवेशन भी समय-समय पर भिन्न-भिन्न स्थानों पर आयोजित किये जाने लगे।

समाज द्वारा छात्रावास की स्थापना—लखनऊ नगर में विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थाओं में बाहर के जिलों तथा प्रान्तों से आये हुए छात्रों को रहने की अत्यन्त असुविधा होती थी। अतः इस समाज ने छात्रों की सहायता तथा उनके निवास की व्यवस्था करने के लिए एक छात्रावास बनवाने की आयोजना बनवाई और १९१६ में इसके नियमादि निर्धारित किये गये।

१९१६ में काँग्रेस अधिवेशन के समय इस समाज द्वारा प्रचार—१९१६ में लखनऊ नगर में राष्ट्रीय काँग्रेस का उत्सव होने वाला था। उसमें सदस्यों ने वैदिक धर्म के प्रचार की विशद योजना की। समाज की इस योजना में जिले की समस्त समाजों ने पूर्ण सहयोग दिया। सात दिवस तक प्रचार कार्य होता रहा। भारत के प्रसिद्ध उपदेशक, साधु महात्मा तथा भजनीक इस प्रचार में आमन्त्रित किए गये थे। जनता में अनेक प्रकार के ट्रैक्ट भी वितरित किए गये।

समाज द्वारा विद्या सभा तथा धर्मार्य सभा की स्थापना—आचार्य दयानन्द की योजनाओं को सार्थक करने के लिए ही इसी समाज ने सर्व प्रथम विद्या सभा तथा धर्मार्य सभा की स्थापना की। विद्या सभा द्वारा वैदिक ग्रन्थों के स्वाध्याय तथा प्रचार के लिये योजनायें निर्मित की गयीं तथा धर्मार्य सभा द्वारा वैदिक प्रवचन तथा लेख आदि सुनने सुनाने का आयोजन किया गया। वैदिक तत्वों के अन्वेषण तथा अनुसन्धान का कार्य भी विद्या सभा द्वारा ही करने की आयोजना की गयी। धर्मार्य सभा द्वारा प्रचार कार्य की रूप रेखा निर्मित की गई। धार्मिक समाधानों तथा शास्त्रार्थों का आयोजन

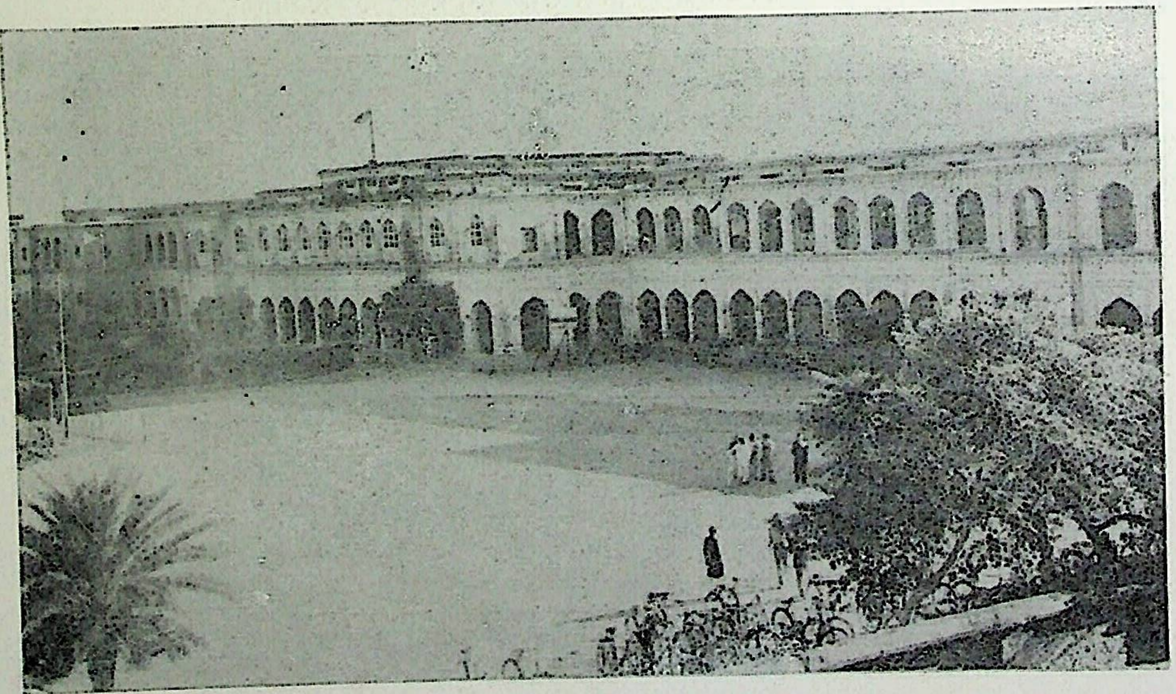
भी इसी सभा द्वारा किया गया। इन दोनों सभाओं में अन्य सदस्य भी सम्मिलित हो सकते थे, पर समाज के प्रधान तथा अधिकारी इन सभाओं में अपने अधिकार द्वारा ही नियुक्त थे। रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए इन सभाओं की आवश्यकता आज भी वैसी ही बनी हुई है।

समाज द्वारा व्यायाम शाला की स्थापना—मानसिक तथा आत्मिक उन्नति के लिए यह आर्य समाज पूर्ण रूप से अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहा था। अपने साप्ताहिक अधिवेशनों में समय-समय पर उत्तमोत्तम उपदेशों का आयोजन करके तथा पाठशालाओं के संचालन द्वारा वैदिक सिद्धान्तों तथा शिक्षा के प्रचार का क्षेत्र समाज ने प्रशस्त किया। परन्तु "शरीर माद्यं खलु धर्मसाधनम्" अर्थात् स्वस्थ शरीर ही धर्म का प्रमुख साधन हो सकता है इस विचार से आर्य समाज ने भारतीय बालकों तथा नवयुवकों की शारीरिक उन्नति करने के विचार से एक व्यायाम शाला स्थापित करने का निश्चय किया और १-६-१९१६ को पुलिस चौकी के पीछे (वर्तमान वैदिक कन्या पाठशाला के पीछे) व्यायाम शाला की स्थापना भी कर दी। लखनऊ नगर में सर्व प्रथम इसी व्यायाम शाला की स्थापना हुई थी और वह भी इसी समाज द्वारा, जो आज भी विद्यमान है। इस व्यायाम शाला में एक अखाड़ा भी स्थापित किया गया तथा व्यायाम करने के अन्य साधन भी एकत्रित किये गये। आर्य समाज ने इस व्यायाम शाला की स्थापना करके इसका प्रबन्ध अपनी आर्य कुमार सभा को दे दिया और वही इसका प्रबन्ध करती रही।

डा० इन्द्रमणि जी तथा पं० राम दुलारे जी वाजपेयी का स्वर्गवास—आर्य समाज के प्रमुख स्तम्भों में पं० राम दुलारे जी वाजपेयी तथा डा० इन्द्रमणि जी का नाम सर्वोच्च कोटि में है। श्री वाजपेयी जी ने समाज की उन्नति में अपना सम्पूर्ण जीवन ही अर्पित कर दिया था और समाज की उन्नति का अधिकांश श्रेय श्री वाजपेयी जी को ही है। आप की सेवाओं से ही आर्य समाज इतनी शीघ्रता से उन्नति कर सका। तन मन तथा धन से आपने इस समाज की अमूल्य सेवा की थी। समाज भवन को वर्तमान रूप देने का श्रेय प्रायः आप को ही है। आप अनेक वर्षों तक समाज के प्रधान रहे। आप का स्वर्गवास २३-१-१९१६ को हो गया। आर्य समाज के ऊपर यह दुःख अनभ्र वज्रपात से भी अधिक दुःखदायी हुआ, परन्तु परमेश्वर की इच्छाओं के सम्मुख किस का वश है। आप सर्वदा के लिये इस असार संसार को छोड़ कर स्वर्ग वासी हुए।

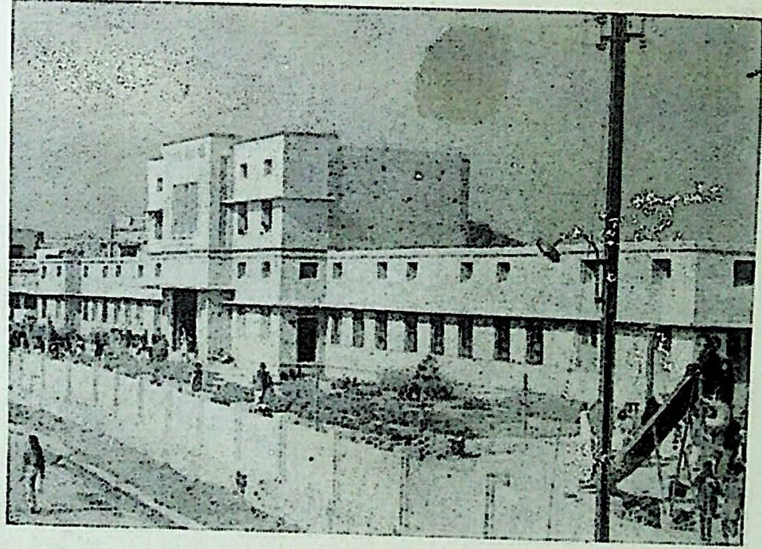
आर्य समाज के दुःखों की समाप्ति यहीं पर नहीं हुई। श्री वाजपेयी जी के स्वर्गवास से केवल चार दिवस पूर्व ही अर्थात् १९-१-१६ को इस समाज के अप्रतिम कार्य-कर्ता, दृढ़ आर्य समाजी डा० इन्द्रमणि जी का भी स्वर्गवास हो

आर्य समाज गणेशगंज लखनऊ द्वारा संचालित



श्रीमद्दयानन्द एंग्लो वैदिक उपाधियत विद्यालय (डी० ए० वी० कालेज) जो नगर की प्रमुख शिक्षा संस्थाओं में अपना विशेष महत्त्व रखता है।

आर्य समाज गणेशगंज लखनऊ द्वारा संचालित, दयानन्द विद्यामन्दिर



जिसकी आधार शिला महामहिम राज्यपाल श्री के० एम० मुंशी जी ने सन् १९५२ में स्थापित की थी।

गया था। आप का आर्य जीवन आदर्श था। आप ने विशेषकर इस समाज की तथा अन्य समाजों की भी तन मन धन से सेवा की थी। आप भी वर्षों तक इस समाज के प्रधान थे। आप का अधिकांश समय समाज सेवा में ही व्यतीत होता था।

ऐसे दो सदस्यों की मृत्यु से आर्य सामाजिक पुरुषों के हृदय दुःख तथा शोक से परिपूर्ण हो गये। एक नीरव स्तब्धता की भावनाएँ सब के हृदयों में आच्छादित हो गयीं। "दैवेच्छा बलीयसी" के अनुसार इन अपार दुःखों को भी आर्य समाज ने सह लिया और ३०-१-१६ को अपनै नैमित्तिक वृहदधिवेशन में राय ज्वाला प्रसाद जी के सभापतित्व में शोक प्रंस्ताव स्वीकृत किया और उनके दुःखित परिवार के प्रति शोक समवेदना एवं मृतात्माओं के प्रति श्रद्धाञ्जलियां समर्पित करते हुए उनकी चिर शान्ति के लिये परम प्रभु से प्रार्थना की।

यह भी निश्चय किया कि इन अमर आत्माओं की पुण्यकृतियों के स्मरणार्थ उपयुक्त स्मारकों का भी निर्माण किया जावे और इसी निश्चय के अनुसार श्री पं० राम दुलारे जी बाजपेयी के नाम पर पं० राम दुलारे वाजपेयी व्यायाम शाला स्थापित की गई तथा डा० इन्द्रमणि जी की स्मृतियों को चिर स्थायी करने के लिये मृतक-दाह कुंड गुल्लाला का निर्माण इसी आर्य समाज द्वारा किया गया। शास्त्रोक्त विधियों से इसी दाह कुंड में अन्त्येष्टि किये जाते थे। इसी प्रकार का दूसरा मृतक-दाह कुण्ड आर्य समाज ने भैंसा कुण्ड में भी निर्माण कराया।

असहाय निधि की स्थापना—समाज की सामाजिक सेवाओं के कारण जनता में यह विश्वास उत्पन्न हो गया था कि आवश्यकता तथा संकट उपस्थित होने पर केवल आर्य समाज ही हमारी रक्षा कर सकता है। इस विचार से जनता आपत्तियों के समय आर्य समाज का ही मुख देखती थी। इस से आर्य समाज के अधिकारियों का उत्तरदायित्व भी बढ़ गया और समाज के व्यक्तियों ने निश्चय किया कि सहायता के लिये समाज की शरण में आये हुए किसी को भी निराश नहीं करना चाहिए परन्तु इस के लिये सर्व प्रथम धन की आवश्यकता थी। अतः आर्य समाज ने निश्चय किया कि एक 'असहाय निधि' खोली जावे जिस में जो धन प्राप्त हो वह केवल उन असहाय व्यक्तियों की ही सहायता के लिये दिया जावे जो वास्तव में इसके पात्र हों। अनेक व्यक्ति जो अन्य स्थानों से यहाँ आते थे और जिनके पास आने जाने का मार्ग व्यय आदि भी नहीं होता था उनको इसी निधि द्वारा सहायता दी जाती थी। उनके भोजन आदि की

व्यवस्था का संचालन भी इसी निधि द्वारा होता था। आज भी आर्य समाजों को ऐसी निधि की परमावश्यकता है, क्योंकि आर्य समाज अपने सेवा कार्य के लिये प्रारम्भ से ही जनता में समादृत हैं।

आर्य सेवा समिति की स्थापना—जनता की सेवा करने के महान् व्रत में व्रती इस आर्य समाज ने अपना पग और भी आगे बढ़ाया और इस बात की आवश्यकता का अनुभव किया कि जनता की सेवा करने के लिये एक "सेवा-समिति" की स्थापना की जावे और १६-१२-१६१७ को "आर्य-सेवा-समिति" की स्थापना की गई। इस समिति द्वारा नगर के मुहल्लों में आपत्ति-ग्रस्त नर-नारियों को उचित सहायता दी जाती थी और मेलों तथा अन्य स्थानों में घायलों, संकटापन्न व्यक्तियों की सेवा करना भी इसी समिति के द्वारा होता था। इस सेवा समिति में आर्य कुमार सभा के सदस्य भी सम्मिलित थे। इस समिति ने समय-समय पर जनता की पूर्ण सेवा की।

धार्मिक प्रारम्भिक पाठशालाओं की स्थापना—शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में आर्य समाज का स्थान सर्व प्रमुख है। इस आर्य समाज ने भी इस दिशा में विशेष कर कार्य किया। स्कूलों में म्युनिसिपैलिटी द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी उस में धार्मिक शिक्षा का कोई स्थान नहीं था। अतः इस आर्य समाज ने निश्चय किया कि प्रत्येक मुहल्ले में धार्मिक प्रारम्भिक पाठशालायें स्थापित की जावें और सर्व प्रथम दुर्विजय गंज में धार्मिक पाठशाला की स्थापना भी इस समाज ने की। इस विषय में स्थानीय शासन के अधिकारियों ने भी आर्य समाज को पूर्ण सहयोग दिया और अनेक स्थानों पर उस स्थान के निवासियों ने स्वयं ही आर्य समाज के तत्वावधान में इन पाठशालाओं की स्थापना तथा संचालन भी किया।

गढ़वाल प्रान्त में अकाल पीड़ितों की सहायता का इस समाज द्वारा आयोजन—सन् १६१२ में गढ़वाल प्रान्त में भयानक अकाल पड़ा। अन्न के अभाव से जनता तड़फ-तड़फ कर मर रही थी। बच्चे, बूढ़े तथा स्त्रियाँ सभी त्राहि-त्राहि कर रहे थे। इस संकट के समय आर्य समाज कैसे शान्त रह सकता था। आर्य प्रतिनिधि सभा युक्त प्रान्त के पास इस विषय की प्रार्थनायें आयीं और उसने इसी समाज को इस सेवा कार्य के संचालन के लिये उपयुक्त समझा। इस समाज ने इस कार्य को बड़ी प्रसन्नता से अपने ऊपर लिया। जनता से धन, वस्त्र तथा अन्न पर्याप्त परिमाण में एकत्रित किया। बहुत से स्वयं सेवक भी गये। आर्य समाज के अधिकारी गण भी वहाँ पहुंचे और अकाल पीड़ितों की

रक्षा की। इस समाज के द्वारा सेवा कार्य की सरकार तथा जनता दोनों ने अत्यन्त सराहना की।

डी० ए० वी० हाई स्कूल के संचालन का पुनःनिश्चय—१८ जून सन् १९१८ की अन्तरंग सभा ने निश्चय किया कि जुलाई सन् १९१८ से डी० ए० वी० स्कूल की स्थापना आर्य समाज मन्दिर में ही की जावे। इस निश्चय के अनुसार ४ जुलाई १९१८ को स्कूल की स्थापना की गयी। पं० विश्वम्भर नाथ जी काक इसके मुख्याध्यापक नियुक्त किये गये और सौभाग्य की बात है कि आप निरन्तर २५ वर्ष तक इस विद्यालय के मुख्याध्यापक पद पर रहे। समाज ने इस स्कूल का संचालन करने के लिये निम्नलिखित सज्जनों की एक उप-समिति बनाई। वर्तमान डी० ए० वी० कालेज की यह सर्व प्रथम उपसमिति थी। १—श्री डा० बनारसी दास जी २—श्री पं० देवदत्त जी वाजपेयी ३—श्री पं० विश्वम्भर नाथ जी काक ४—श्री जीवन मल जी ५—श्री पं० रहस विहारी जी तिवारी।

अन्तरंग सभा ने यह भी निश्चय किया कि इस शुभ कार्य के लिये आर्य समाज का प्रत्येक सदस्य कम से कम एक मास की आय देवे तथा श्री बा० सर्यूदयाल जी ने उसी समय १०००) इस स्कूल के निमित्त प्रदान किये। इस स्कूल के नियमोपनियम २ सितम्बर १९१८ को निर्धारित किये गये।

लाला कामेश्वर प्रसाद जी की सम्पत्ति का आर्य समाज के नाम वसीयत नामा—लाला कामेश्वर प्रसाद जी समाज के योग्य तथा उत्साही कार्य-कर्त्ता थे। आपने अपनी चल तथा अचल सम्पत्ति की वसीयत आर्य समाज गणेश गंज, लखनऊ के नाम दिनांक ३-११-१९२१ को कर दी और अपनी यह इच्छा भी प्रकट की कि इस सम्पत्ति की आय से विधवाओं को सहायता प्रदान की जावे। समाज ने आप को इस उदारता के लिये हार्दिक धन्यवाद दिया।

मदरास प्रान्त में आर्य समाज के प्रचार के लिये इस समाज द्वारा सहायता—दक्षिण भारत में अभी तक वैदिक धर्म का सन्देश पूर्ण रूप से नहीं पहुँच सका था। इस के लिये प्रतिनिधि सभा ने सम्पूर्ण समाजों से सहायता देने की प्रार्थना की। आर्य समाज लखनऊ ने इस कार्य के लिये प्रचुर परिमाण में धन संग्रह किया तथा प्रतिनिधि सभा को लिखा कि वैदिक धर्म के प्रचार के लिये इस समाज को जो आज्ञायें प्राप्त होंगी उनका यह सदैव पालन करेगा।

लाला राम गोपाल जी (नवाब गंज, उन्नाव निवासी) की सम्पत्ति का दान—

लाला राम गोपाल जी आर्य समाज के प्राचीन सदस्य थे और नवाब गंज से प्राय: आर्य समाज के अधिवेशनों में सम्मिलित होने के लिये आया करते थे। आप का नवाब गंज में एक कोल्हू तथा कढ़ाई बनाने का बड़ा कारखाना भी था, तथा एक खराद की मशीन भी थी। यह कारखाना मशीन सहित तथा अपना निज का सामान भी लाला जी ने आर्य समाज को दान कर दिया। आप का एक सिरसा नामक गांव भी था, वह गांव भी आर्य समाज गणेश गंज को मिला। इस सम्पूर्ण सम्पत्ति के दान के लिये आर्य समाज ने आप को धन्यवाद दिया। यह दान आर्य समाज को सन् १९२२ में प्राप्त हुआ था। कुछ दिनों तक इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में न्यायालय में अभियोग भी चले, परंतु ईश्वर की कृपा से २०-१-२४ को आर्य समाज विजयी हुआ। कारखाना तथा गाँव का समस्त प्रबन्ध आज भी आर्य समाज द्वारा होता है तथा उनके मकान पर श्री लाला जी की धर्म पत्नी के नाम के स्मारक स्वरूप "तुलसा देवी कन्या पाठशाला" स्थापित है जिसका संचालन भी आर्य समाज ही करता है।

आर्य समाज औषधालय—समाज मन्दिर में आर्य समाज द्वारा स्थापित औषधालय अनेक वर्षों से जनता की धर्मार्थ सेवा करता रहा था। वर्ष में हजारों रोगी औषधालय की चिकित्सा से स्वास्थ्य-लाभ करते थे। अत: समाज की इस नि:स्वार्थ सेवा के उपलक्ष्य में शासन ने सर्वप्रथम १९२१ में ९००) की आर्थिक सहायता इस औषधालय को प्रदान की।

डी० ए० वी० स्कूल के लिए भूमि लेने का प्रथम प्रस्ताव—डी० ए० वी० स्कूल के समाज भवन में होने के कारण प्रतिदिन स्थानाभाव के कारण सामाजिक कार्यों में कुछ असुविधायें उपस्थित हुईं। उधर विद्यार्थियों की संख्या भी प्रति वर्ष बढ़ रही थी। अत: यह निश्चय किया गया कि स्कूल के लिए कहीं अन्यत्र भूमि ली जावे और स्कूल का अपना अलग भवन बने। निदान निश्चय हुआ कि मोहल्ला दुगावाँ में जो म्युनिसिपैलिटी की जमीन है उसे क्रय किया जावे तथा इसके लिए समाज के उत्साही तथा दानशील सदस्य श्री सी० मल जी से ७०००) का ऋण भी मन्दिर की स्कूल की भूमि के लिए लिया जावे। कालान्तर में यह जमीन दुगावां में न ली जाकर वर्तमान आर्य नगर तथा मोतीनगर के मध्य में ली गयी जहाँ इस समय कालेज है।

बाबू रघुबर दयाल जी का समाज को दान—समाज के सदस्य श्री रघुबर दयाल जी ने अपना मकान समाज को दान कर दिया जिसके लिए समाज ने उनको हार्दिक धन्यवाद दिया। कुछ कालोपरान्त वह मकान अत्यन्त जीर्ण-

शीर्ण हो गया, तब आर्य समाज ने निश्चय किया कि यह मकान सम्प्रति रहने योग्य नहीं है तथा उसके पुनः निर्माण में अधिक व्यय होगा अतः इसको ९००) में बेच दिया गया।

पं० राम दयालु आर्य की उदारता—श्री पं० राम दयालु जी इस आर्य समाज के पुराने सदस्य थे। आप ने भी आर्य समाज के प्रति प्रेम के कारण अपना मकान समाज को दान कर दिया। समाज ने उनकी इच्छानुसार उस मकान को बेच दिया और उसका धन आर्य समाज की स्थिर निधि में जमा किया गया। यह निश्चय किया गया कि पं० राम दयालु जी आर्य को उनके जीवन पर्यन्त २०) मासिक जीवन-निर्वाह दिया जावे।

डी० ए० वी० स्कूल के लिए भूमि का क्रय करना—समाज ने स्कूल के लिए प्रथम दुगावां में भूमि लेने का निश्चय किया था, परन्तु इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने तीस बीघे भूमि सस्ते दरों में जहां आज कल कालेज है वहां देने का आश्वासन दिया। अतः यह निश्चय किया गया कि इस भूमि को कालेज के लिए ले लिया जावे और सन् १९२५ में यह भूमि ले ली गयी।

अछूतोद्धार के कार्य म सर्वेन्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी के साथ सहयोग—आर्य समाज के विचारों में प्रारम्भिक काल से ही अछूतों के प्रति प्रेम की भावना तथा उनके उद्धार की भावना रही है। सर्वेन्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किये थे। उस सोसाइटी के कार्यकर्ताओं की यह अभिलाषा थी कि इस कार्य में आर्य समाज भी उनका सहयोग करे। फलतः इस आर्य समाज ने उक्त सोसाइटी के साथ इस कार्य को अत्यन्त उत्साहपूर्वक सम्पन्न किया।

विश्व विद्यालय के स्नातकों को भेंट—वैदिक धर्म के प्रचार के लिए इस आर्य समाज ने लखनऊ शहर में पर्याप्त कार्य किया था। समाज ने निश्चय किया कि लखनऊ विश्वविद्यालय से जो छात्र दीक्षा प्राप्त करते हैं उनको पं० गंगा प्रसाद जी चीफ जज टेहरी द्वारा रचित 'धर्म का आदि स्रोत' नामक पुस्तक बिना मूल्य भेंट की जावें। निश्चयानुसार प्रत्येक ग्रेजुएट को यह सजिल्द पुस्तक इस समाज द्वारा प्रदान की गयी।

श्री चतुरी मिस्त्री का दान—आर्य समाज के प्राचीन सदस्यों में श्री चतुरी मिस्त्री का नाम अत्यन्त गौरव के साथ लिया जा सकता है। आप अत्यन्त उत्साही तथा दृढ़ आर्य समाजी थे। आपने समाज के प्रत्येक कार्य में

तन, मन, तथा धन से सदैव सहायता की थी। सन् १९२७ में आप ने अपना मकान समाज के नाम वसीयत कर दिया। समाज ने आप का इस उदारता के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया।

ठाकुर कामता सिंह का अनुपम दान--ठाकुर कामता सिंह जी इस समाज के कर्मण्य सभासदों में थे। आप मलीहावाद के पास शहबाज पुर गांव के जमीन्दार थे। आपने अपनी सम्पूर्ण चल तथा अचल सम्पत्ति, जिसमें एक गांव भी था, समाज के नाम दान कर दी। यह अब भी समाज के अधिकार में है। आपकी इस अनुपम उदारता के लिए आर्य समाज ने आपको हार्दिक धन्यवाद दिया।

आर्य प्रतिनिधि सभा का कार्यालय समाज भवन में--सन् १९२७ में इस समाज के मन्त्री श्री पं० रहस विहारीजी तिवारी आर्य प्रतिनिधि सभा के मन्त्री निर्वाचित हुए। प्रतिनिधि सभा ने यह निश्चय किया कि कार्यालय मन्त्री के निवास स्थान पर होना चाहिए। अतः सभा का कार्यालय लखनऊ लाया गया। परन्तु कार्यालय के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं था। अतः इस समाज ने निश्चय किया कि सभा का कार्यालय समाज भवन में ही रक्खा जावे।

आर्य नगर सेटिलमेन्ट की स्थापना का प्रबन्ध--शासन के द्वारा क्रिमिनल ट्राइब्स् की अलग बस्ती वनाने का आयोजन होता था। अब तक यह कार्य ईसाई मिशनरियों को ही सौंपा जाता था। परन्तु श्री पं० रहसविहारी तिवारी के जो उस समय कौन्सिल के सदस्य थे, उद्योग से शासन ने इस वार यह कार्य आर्य समाज को सौंपने का निश्चय किया और इस कार्य को कार्यान्वित करने के लिए उसने आर्य प्रतिनिधि सभा युक्त प्रान्त को लिखा। प्रतिनिधि सभा ने यह कार्य सहर्ष स्वीकार किया और हब्रूड़ों को नागरिकता की शिक्षा देने की व्यवस्था की। लखनऊ से लगभग छः मील की दूरी पर आर्यनगर सेटिलमेण्ट बसाया गया जिसका प्रबन्ध प्रधानतः इसी समाज द्वारा होता था। सरकार ने इस कार्य के लिए ५०,०००) समाज को प्रदान किए।

लावारिस मृतकों के अन्त्येष्टि संस्कार का समाज द्वारा प्रबन्ध--नगर में तथा लखनऊ से वाहर भी जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती थी और जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था उनकी अन्त्येष्टि क्रिया का कोई समुचित प्रबन्ध नहीं था। सरकार ने इस विषय के लिए समाज से प्रार्थना की कि वह इनका समुचित प्रबन्ध करे। आर्य समाज ने सार्वजनिक सेवा कार्य की भावनाओं से इस कार्य को शिरोधार्य किया और यह समाज इस

समय भी अत्यन्त उत्तरदायित्व के साथ इस कार्य का संचालन कर रहा है। इस कार्य के लिए समाज द्वारा एक ठेला बनवाने का भी निश्चय किया गया।

बा० सर्यू दयाल जी द्वारा उन्नाव स्थित मकान समाज को समर्पित—श्री सर्यूदयाल जी जो इस समाज के प्रधान कार्य कर्ताओं में एक थे अपना उन्नाव शहर में स्थित मकान डी० ए० वी० स्कूल, लखनऊ को १५००) चन्दे के स्थान पर दे दिया। समाज ने उनको इस उदारता के लिए धन्यवाद दिया। दूर होने के कारण समाज ने यह मकान बा० ईश्वरीदयाल जी की अनुमति से बेच दिया और १५००) डी० ए० वी० स्कूल को प्रदान कर दिये।

आर्य समाज टेलरिंग स्कूल की स्थापना—सन् १६२६ में आर्य समाज ने छात्रों को स्वावलम्बी बनने की शिक्षा देने के उद्देश्य से आर्य समाज में ही टेलरिंग स्कूल की स्थापना की। इस विद्यालय में दो वर्ष का पाठ्यक्रम था। यहाँ की परीक्षायें सरकार द्वारा प्रमाणित थीं। आजकल भी यह विद्यालय समाज में ही स्थापित है। अब इस विद्यालय में महिलाओं को शिक्षा देने का भी प्रबन्ध है।

नगर में शराब की बिक्री के विरोध में आर्य समाज का निश्चय—मादक द्रव्यों के सेवन के विरोध का सिद्धान्त आर्य समाज प्रारम्भ से ही स्वीकार करता आया है। अतः जब शराब की दूकानों के बन्द होने के लिए कांग्रेस द्वारा आन्दोलन किया गया तो आर्य समाज ने भी इस आन्दोलन के संचालन में पूर्ण सहयोग दिया और अन्तरंग सभा द्वारा निश्चय किया कि सभी वैध उपायों द्वारा शीघ्र से शीघ्र शहर में शराब की दूकानों को बन्द करने के प्रयत्न किये जावें।

अखिल विश्व धर्म विराट सम्मेलन (द्वितीय) के लिये अमेरिका में प्रतिनिधि—१६३४ में अमेरिका में होने वाली द्वितीय विश्व धर्म सभा में इस समाज ने तीन व्यक्तियों के नाम सार्वदेशिक सभा को प्रस्तावित किये और उनके लिए पर्याप्त धन इस समाज द्वारा संग्रह करके भेजा गया। १—पं० अयोध्या प्रसाद जी बी० ए०, २—पं० बालकराम जी, ३—प्रो० रामदेव जी। इस द्वितीय सभा में पं० अयोध्या प्रसाद जी वहाँ भेजे गये जिन्होंने अत्यन्त विद्वत्ता पूर्वक आर्य धर्म का प्रतिपादन किया।

पं० माधो प्रसाद जी वाञ्चू, हेड मास्टर गवर्मेण्ट हाई स्कूल बाराबंकी का प्रशंसनीय दान—श्री वाञ्चू महोदय दृढ़ आर्य विचारों के सम्भ्रान्त व्यक्ति

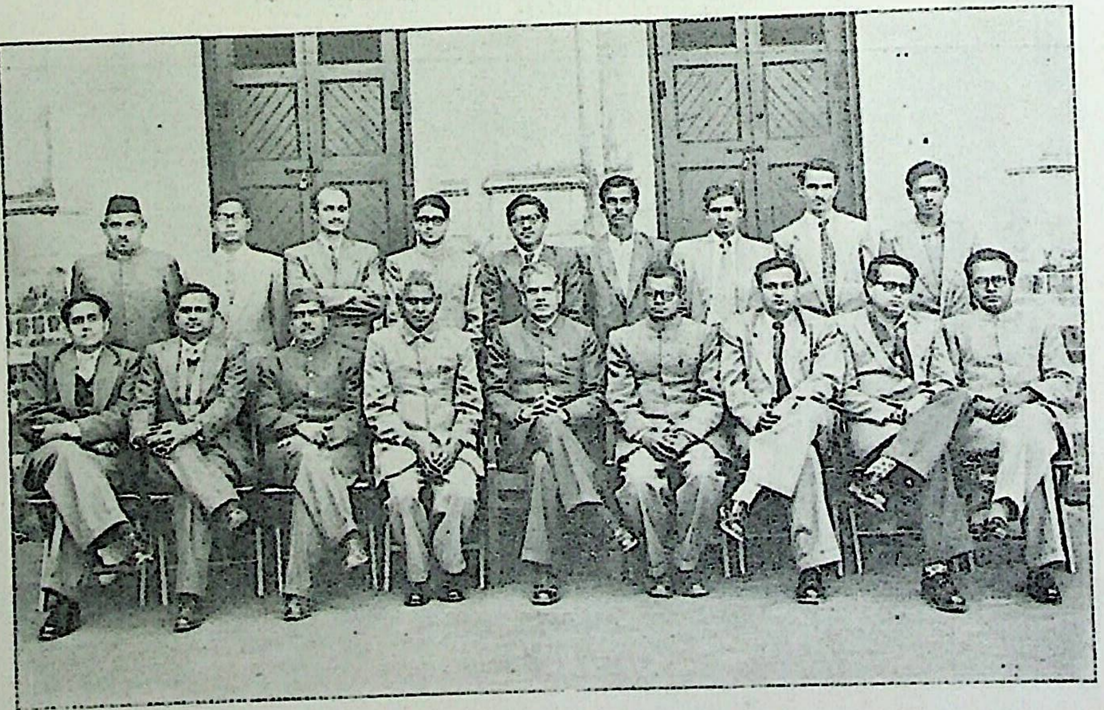
थे। आपने अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति की वसीयत आर्य समाज लखनऊ के नाम २५ मई सन् १९३३ को कर दी, जिसकी रजिस्ट्री भी २६ मई १९३३ को हो गयी। पण्डित जी की इस उदारता के लिये आर्य समाज ने आप को हार्दिक धन्यवाद दिया। दुःख है कि कुछ परिस्थितियों वश आपने अपना वसीयतनामा वापिस ले लिया।

सदस्यों को धार्मिक शिक्षा देने का प्रबन्ध--आर्य समाज के कतिपय सदस्यों ने यह उत्कट अभिलाषा प्रकट की कि वे वैदिक ग्रन्थों के स्वाध्याय के लिए विशेष सुविधा चाहते थे जिससे उनकी शंकाओं का समाधान भली प्रकार से हो जाया करे। इस कार्य के लिए समाज ने १० फरवरी १९३२ की अंतरंग सभा में निश्चय किया कि सम्प्रति समाज किसी विशेष व्यक्ति को इस कार्य के सम्पादन के लिए रखने में असमर्थ है, अतः श्री पं० नरेन्द्रनाथ शास्त्री अपने घर पर ही ऐसे सदस्यों को पढ़ाने की व्यवस्था करें और उसकी सूचना समय समय पर समाज को देते रहें।

बिहार के भूकम्प में आर्य समाज द्वारा सहायता--१९३३ में बिहार में प्रलयकारी भूकम्प आया। हजारों की संख्या में नरनारी हताहत हुए और अन्न तथा वस्त्र के अभाव से सर्वत्र आतंक छा गया। सम्पूर्ण देश ने यथा शक्ति भूकम्प पीड़ितों की सहायता की। इस समाज द्वारा भी उनकी सहायता के लिये वस्त्र तथा अन्न भेजे गये। आर्य समाज के डी० ए० वी० स्कूल के छात्रों ने लगभग ३०००) मूल्य के वस्त्र तथा ३०००) एकत्र करके बिहार में आर्य समाज रिलीफ सोसाइटी बिहार तथा बा० राजेन्द्रप्रसाद जी के पास भेजे। इसके अतिरिक्त शेष रुपये भी भूकम्प पीड़ितों की सहायतार्थ आर्य समाज द्वारा युक्त प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभा को भेजे गये।

कांग्रेस अधिवेशन के समय १९३६ में आर्य समाज का प्रचार कार्य--समाज की अन्तरंग ने अपने २८ जनवरी १९३६ के अधिवेशन में निश्चय किया कि इसी वर्ष लखनऊ नगर में होने वाले कांग्रेस के उत्सव के समय आर्य समाज द्वारा प्रचार का विशेष आयोजन किया जाय और इसके लिये १०००) स्वीकार किया गया। बाहर के प्रसिद्ध विद्वानों को भी प्रचार के लिये आमन्त्रित किया गया। आर्य समाज के अधिवेशनों में डा० राजेन्द्रप्रसाद जी (वर्तमान राष्ट्रपति) आदि कांग्रेस नेता भी पधारे थे। आर्य समाज का प्रचार कार्य डी० ए० वी० कालेज की भूमि पर किया गया था। लखनऊ नगर की संयुक्त आर्य समाजों ने भी इस अवसर पर प्रचार कार्य की आयोजना की और उनके लिये भी डी० ए० वी० कालेज में ही स्थान दिया गया।

आर्यसमाज गणेशगंज लखनऊ द्वारा संचालित



डी० ए० वी० (डिग्री) कालेज के अध्यापक महोदय (१९५६–५७)

आर्य समाज गणेशगंज लखनऊ द्वारा संचालित



डी० ए० वी० इन्टर कालेज के अध्यापक महोदय (१९५६–५७)

श्री पं० रामचन्द्र जी शर्मा का स्वर्गवास——आर्य समाज के वयोवृद्ध कार्यकर्ता तथा दानशील पं० रामचन्द्र जी शर्मा का स्वर्गवास जनवरी १६४१ में अजमेर में हो गया। आपने समाज की तन, मन, धन से अनुपम सेवा की थी। वर्षों तक इस समाज के उपप्रधान तथा प्रधान भी रहे थे। आर्य कुमार सभा, डी० ए० वी० स्कूल तथा आर्य समाज को आपने समय समय पर पुष्कल धन राशि प्रदान की थी। आपकी मृत्यु पर आर्य समाज ने हार्दिक शोक प्रकट किया और उनकी स्मृति में उनका एक बड़ा चित्र समाज मन्दिर में स्थापित किया गया। उनकी मृत्यु के कारण आर्य समाज की सभी संस्थायें एक दिवस के लिए बन्द रहीं।

समाज के लिये रिजर्व फण्ड की स्थापना——सन् १६४१ में अन्तरंग सभा ने निश्चय किया कि आर्य समाज का अभी तक कोई रिजर्व फन्ड नहीं है, जिसके कारण आवश्यकता के समय अत्यन्त कठिनता होती है, अतः रिजर्व फण्ड अवश्य खोला जावे और उसका हिसाब सेन्ट्रल बैंक में रखा जावे। यह भी निश्चय किया गया कि मासिक चन्दे का कम से कम १० प्रतिशत अवश्य रिजर्व फण्ड में जमा होना चाहिये।

सभा भवन के निर्माण के लिये इस समाज द्वारा सहायता—आर्य प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त का कार्यालय लखनऊ में होना निश्चित हो चुका था और उसके लिये धन-संग्रह का कार्य भी तत्परता से प्रारम्भ हो गया था। इस आर्य समाज के कार्य कर्ताओं ने इसमें सक्रिय सहयोग दिया। विशेष कर श्री पं० रहसविहारी तिवारी ने धन संग्रह का कार्य किया। अन्य आवश्यकीय सहायता भी वे समय समय पर देते रहे थे। इस समाज ने भी ५००) देने का निश्चय किया।

आर्य समाज द्वारा हिन्दी प्रचार समिति की स्थापना——हिन्दी को राष्ट्र भाषा का स्वरूप प्रदान करने तथा भारत में हिन्दी भाषा का प्रचार करने के लिये इस समाज ने ८ मई १६४२ को 'हिन्दी प्रचार समिति' की स्थापना की। इस समिति का कार्य हिन्दी न बोले जाने वाले प्रान्तों में, विशेषकर दक्षिण भारत में, हिन्दी का प्रचार कार्य करना था। इस समिति ने अत्यन्त लगन के साथ हिन्दी प्रचार को सम्पादित किया।

आर्य वीर दल की स्थापना——नवयुवकों में सेवा की भावना तथा उनकी शारीरिक शक्ति के विकास के लिये इस समाज ने सन् १६४२ में आर्य वीर दल की स्थापना की। इस दल के सदस्यों को आवश्यकीय सैनिक शिक्षा भी

दी जाती थी। उन्हें क्रीड़ाओं में भी अनिवार्य रूप से भाग लेना होता था उत्सवों में तथा नगर कीर्तन आदि सामूहिक मेलों आदि में भी इस दल के सदस्य प्रशंसनीय सेवा कार्य करते थ।

श्री पं० रहसबिहारी जी तिवारी की माननीय सदस्यता—आर्य समाज एवं आर्य समाज से सम्बन्धित संस्थाओं तथा कार्यों में श्री पं० रहसबिहारी तिवारी ने अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य किये थे। आपका जीवन ही आर्य समाज का जीवन था। अतः आपकी सेवाओं के उपहार स्वरूप अंतरंग सभा ने अपने १६ दिसम्बर १९४२ के अधिवेशन में आपको इस समाज का माननीय सदस्य निर्वाचित किया (आर्य समाज के नियम सं ६ के अनुसार)।

बंगाल के दुर्भिक्ष पीड़ितों की सहायता—द्वितीय विश्व-युद्ध के कारण बंगाल में अत्यन्त भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा। १९४३ में इस समाज ने सहायता के लिये लखनऊ के नागरिकों के नाम अपील निकाली और पर्याप्त संख्या में धन, अन्न तथा वस्त्रों से निराश्रितों की सहायता की। यह भी निश्चय किया कि जो व्यक्ति बंगाल से यहाँ आश्रय के लिये आवें उनको समाज में आश्रय दिया जावे और उनके भोजनादि का प्रबन्ध भी इसी समाज द्वारा किया जावे।

समाज में पुरोहित की नियुक्ति—समाज के साप्ताहिक अधिवेशनों को कराने के लिये समाज में एक पुरोहित की अत्यन्त आवश्यकता है। अतः समाज ने अपनी २०-१-१९४४ की अन्तरंग सभा में निश्चय किया कि सम्प्रति ४०) मासिक पर पुरोहित रखा जावे जो समाज के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर संस्कार आदि कराने के लिये आवश्यकता होने पर जाया करे। इससे आर्य जनता को संस्कार कराने में भी सुविधा होगी। पुरोहित को जो दान दक्षिणा आदि मिलेगी वह समाज में सम्मिलित न होगी।

श्री पं० रहसबिहारी जी तिवारी का स्वर्गवास—अनुमानतः ४० वर्षों तक इस समाज की अनथक सेवा करने वाले तथा इस समाज की विविध संस्थाओं के प्रमुख संचालक तथा निर्माण कर्ता श्री पं० रहसबिहारी तिवारी का देहावसान अक्तूबर १९४४ को हो गया। आपका शरीर दिन रात आर्य समाज तथा जनता की सेवा करते हुए अत्यन्त क्षीण हो गया था। अन्तिम दिनों में आपका शरीर मधुमेह तथा क्षय से भी आक्रान्त हो गया। अनेक उपचार तथा चिकित्सा के होने पर भी उनको न बचाया जा सका। आपके स्वर्गवास से सम्पूर्ण नगर में शोक छा गया। लखनऊ का सम्पूर्ण बाजार बन्द हो गया और सभी लोगों ने कहा कि जनता का एक सच्चा सेवक आज लखनऊ से उठ

गया। डी० ए० वी० कालेज के आप ही प्राण थे और इस आर्य समाज की दृढ़ भित्ति। अतः आर्य समाज की सभी संस्थायें दो दिवस तक आपके शोक में बन्द रहीं। समाज ने आपकी मृत्यु पर हार्दिक शोक प्रकट किया।

श्री पं० देवदत्त बाजपेयी जी का स्वर्गवास—दिनांक १७ दिसम्बर १६४४ को आर्यसमाज के प्राचीन प्रमुख कार्यकर्ता श्री पं० देवदत्त जी बाजपेयी का भी स्वर्गवास हो गया। आपने इस समाज के बाल्यकाल से ही इस की उन्नति में सदैव योग दिया था। कई वर्षों तक आप प्रधान, उपप्रधान तथा मन्त्री भी रहे। आपके निधन से आर्यसमाज को पर्याप्त क्षति हुई। आर्यसमाज ने आपके दुःखित परिवार के प्रति शोक सहानुभूति प्रदर्शित की तथा समाज की सभी संस्थायें आपके शोक में बन्द रहीं। आप का स्मारक चित्र तथा श्री पं० रहस-बिहारीजी तिवारी का स्मारक चित्र समाज मन्दिर में लगाने का निश्चय हुआ।

नोआखाली आदि पूर्वीय बंगाल प्रान्त में हिन्दुओं पर अत्याचार तथा इस समाज द्वारा सहायता—सन् १६४६ में मुस्लिम लीगी शासन द्वारा पूर्वीय बंगाल के जिलों में हिन्दुओं पर घोर अत्याचार हुए। सैकड़ों हिन्दुओं का संहार किया गया और उनकी सम्पत्ति को लूट लिया गया। जनता वहाँ से भागने लगी। आर्यसमाज ने अपने अन्तरंग के अधिवेशन में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किये।

"बंगाल सरकार की पक्षपात पूर्ण लीगी सरकार के शासन में नोआखाली आदि जिलों में मदान्ध आतताइयों द्वारा संगठित रूप से समस्त हिन्दू नर-नारियों को बलात् मुसलमान बनाने के लिये पुलिस और फौज के होते हुए भी जो लूट मार और जो अग्निकाण्ड निर्बाध रूप से हो रहे हैं उनके प्रति यह आर्यसमाज घोर घृणा प्रकट करता है एवं उत्पीड़ित बंगीय भाई बहनों के साथ हार्दिक सहानुभूति प्रकट करता है और उनकी इस विपन्न अवस्था में सब प्रकार से सहायता प्रदान करने का आश्वासन देता है एवं उनको भी जो बलपूर्वक मुसलमान बनाये गये हैं यथापूर्व हिन्दू स्वीकार करता है। यह भी निश्चय हुआ कि इस कार्य के लिये १०००) एकत्रित किये जावें और आवश्यकता पड़ने पर समाज की ओर से १०० स्वयंसेवक भेजे जावें और अनाश्रित बन्धुओं के ठहराने का प्रबन्ध समाज मन्दिर में किया जावे। इस सम्बन्ध की अपील भी समाज के द्वारा प्रकाशित कर जनता में वितरित की जावे।"

दयानन्द विद्यामन्दिर की स्थापना—आर्यसमाज ने १६४६ में निश्चय किया कि समाज द्वारा संचालित डी० ए० वी कालेज की लोकप्रियता के कारण छात्रों की संख्या अधिक हो गयी है और स्थानाभाव के कारण आवश्यक

है कि छात्रों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए एक और विद्यालय की स्थापना की जावे। फलतः आर्यसमाज ने "दयानन्द विद्यामन्दिर" की स्थापना की और आर्य पुरुषों ने विशेष कर इस समाज के तात्कालिक मन्त्री श्री पं० भृगुदत्त तिवारी के प्रयत्न से यह विद्यालय मोती नगर में स्थापित हो गया। श्री पं० भृगुदत्त तिवारी के असामयिक निधन से उनके उपरान्त श्री पं० चन्द्रदत्त तिवारी, मन्त्री, आर्यसमाज ने समाज के सदस्यों की सहायता से इस भवन को पूर्ण भी करा दिया है और अब दयानन्द विद्यामन्दिर अपने भवन में लगता है, जिसमें लगभग १००० छात्र शिक्षा प्राप्त करते हैं।

दयानन्द बालिका विद्यालय की स्थापना—आर्यसमाज ने सन् १९४९ में लड़कियों की शिक्षा के लिये बालिका विद्यालय की स्थापना की। सम्प्रति यह विद्यालय मोती नगर में स्थापित है और हाईस्कूल परीक्षाओं के लिये शासन द्वारा प्रमाणित है। इस विद्यालय की स्थापना में श्री पं० भृगुदत्त जी तिवारी ने सराहनीय कार्य किया था और उन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप आज यह इस उन्नत दशा को प्राप्त हो सका है। हर्ष है कि सम्प्र ति यह विद्यालय भी प्रायः बन चुका है।

आर्य विद्यालय की स्थाना—सन् १९५१ में आर्यसमाज ने यह भी निश्चय किया कि २ जुलाई से समाज मन्दिर में प्रारम्भिक पाठशाला की भी स्थापना की जावे और इस विद्यालय का नाम "आर्यविद्यालय" रखा गया।

श्री बांकेलाल जी निगम का अनुपम दान—छितवापुर (लखनऊ) निवासी श्री बांकेलाल जी ने अपनी चल तथा अचल अम्पत्ति सन् १९५२ में आर्यसमाज की संस्था बालिका विद्यालय को समर्पित कर दी थी। समाज ने उनकी इस उदारता के लिये उन्हें हार्दिक धन्यवाद दिया। श्री बाँकेलाल जी के तीन मकान तथा बैंक में जमा धन आर्यसमाज को प्राप्त हुआ। श्री निगम महोदय का देहावसान सितम्बर १९५३ में हो गया। आप की मृत्यु पर आर्यसमाज ने हार्दिक शोक प्रकट किया तथा उनके शोक में समाज से सम्बन्धित सभी संस्थायें बन्द रही।

श्री पं० भृगुदत्त जी तिवारी का असामयिक निधन—आर्यसमाज के होनहार नवयुवक कार्यकर्ता श्री पं० रहसविहारी तिवारी के द्वितीय पुत्र तथा इस समाज के मन्त्री श्री पं० भृगुदत्त जी तिवारी का आकस्मिक निधन १४ अगस्त १९५४ को हो गया। आपके निधन से आर्यसमाज के कार्यकर्ता स्तब्ध से रह गये। आप की समाज के प्रति सेवायें अमूल्य थीं। आर्यसमाज की संस्थायें आप के शोक में तीन दिवस के लिये बन्द रहीं। आप के अवसान से आर्यसमाज की प्रगति में पर्याप्त बाधा उपस्थित हुई। परन्तु परमात्मा के

विधान के सम्मुख मानव कुछ नहीं कर सकता। आर्यसमाज ने मृतात्मा के प्रति शोक प्रकट किया तथा उनके दुःखित परिवार के धैर्य तथा आश्वासन के लिये परमेश्वर से प्रार्थना की।

आर्यसमाज गणेशगंज के प्रधान श्री पं० रामदत्त जी शुक्ल की दीर्घकालीन रुग्णता तथा देहावसान—श्री पं० रामदत्त जी शुक्ल आर्यजगत् के उच्चकोटि के विद्वानों में एक थे। आप का वैदिक वाङ्मय का स्वाध्याय अपार था। आप की भाषा सरल, प्रभाव पूर्ण तथा हृदयग्राही होती थी। यह आर्यसमाज गणेशगंज का सौभाग्य था कि इसको इस प्रकार के त्यागी, सत्यवादी तथा वैदिक ब्रह्मचारी प्राप्त हुए। श्री पण्डित जी इस समाज के सन् १९३९ से १९५५ तक प्रधान रहे। समाज के सदस्यों की सर्वसम्मति से प्रति वर्ष आपने इस पद को ग्रहण किया और आप के निष्पक्ष तथा मधुर नेतृत्व में आर्यसमाज ने बराबर उन्नति की। आप तीन वर्षों से लकवे की बीमारी से आक्रान्त रहे और क्षेत्र में इसी रोग के शाम आपका ७ फरवरी १९५६ को स्वर्गवास भी हो गया। आपकी मृत्यु से आर्य समाज को पर्याप्त क्षति हुई। समाज के सदस्यों ने आपकी आत्मा की शान्ति के लिये परमात्मा से प्रार्थना की।

आर्यसमाज का भविष्य—इन ७५ वर्षों के संक्षिप्त इतिहास से पाठकों को भली प्रकार विदित हो गया होगा कि इस आर्य समाज ने किस प्रकार शनैः शनैः उन्नति की है। समाज का कार्यक्षेत्र सेवा की दृष्टि से अत्यन्त व्यापक तथा विस्तृत रहा है। इस आर्यसमाज के ७५ वर्षों के इतिहास से यह विदित है कि इस समाज में दल बन्दियाँ या आर्यपुरुषों में पारस्परिक कटुता तथा वैमनस्य कभी नहीं हुये। सम्पूर्ण सभासद् परस्पर एक परिवार के सदृश निवास करते हैं और सभी सर्वदा समाज की उन्नति में दत्तचित्त रहते हैं। समाज का अपना विशाल मन्दिर है। इस समाज के नाम लाला रामगोपाल ट्रस्ट, कामतासिंह ट्रस्ट, हैं, जिनका प्रवन्ध आर्यसमाज की अंतरंग सभा प्रति वर्ष सदस्यों का निर्वाचन करके करती हैं।

समाज के तत्वाधान में डी० ए० वी० डिग्री कालेज, बालिका विद्यालय हायर सैकण्डरी स्कूल, दयानन्द विद्यामन्दिर, आर्यसमाज टेलरिंग स्कूल, आर्यसमाज औषधालय, आर्यसमाज सार्वजनिक वाचनालय, व्यायामशाला आदि अनेक संस्थायें भलीप्रकार चल रही हैं और जनता की पूर्ण सेवा कर रही हैं। आर्य-समाज की सभी संस्थाओं का लखनऊ नगर में अपना विशेष स्थान है। इन संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने की अनिवार्य योजना की गयी है। इस प्रकार आर्यसमाज का भविष्य अत्यन्त सुन्दर तथा उन्नति पथ पर है। योग्य संचालकों के प्रयत्नों से यह आर्यसमाज दिन प्रतिदिन प्रगतिशील रहेगा ऐसी आशा है।

उपसंहार

प्रगति एवं उत्थान की दिशा में निरन्तर अग्रसर होते हुए आर्यसमाज गणेशगंज की स्थापना के आज ७५ वर्ष सम्पूर्ण हो रहे हैं। वीतराग स्वामी दयानन्द जी सरस्वती के पावन करकमलों से स्थापित यह आर्य समाज सर्वदा अपने कर्तव्य पालन में संलग्न रहा है। भारतीय संस्कृति तथा वैदिक सभ्यता की अक्षुण्ण मान-मर्यादा को सर्वदा जाज्वल्यमान करने में इस समाज ने भगीरथ प्रयत्न किया है। उदार दाताओं तथा मनस्वी कार्यकर्त्ताओं ने समय समय पर इसकी तन, मन तथा धन से पूर्ण सहायता की है। इतिहास के पृष्ठों पर उनके नाम सर्वदा अङ्कित रहेंगे।

आर्यसमाज ने भारतीय विचारधारा में ही नहीं अपितु भारतीय परम्पराओं में भी एक नूतन तम जागृति का नूतन सन्देश दिया है। जीवन की संकीर्णता तथा आचार-विचारों की असहिष्णुता का उन्मूलन इस समाज का प्रशस्त ध्येय है। धार्मिक भावनाओं की सुदृढ़ भित्ति पर अवलम्बित भारतीय राष्ट्र में आर्य समाज ने संजीवनी सुधा का अमृतमय जीवनदान किया है। सम्मानित तथा समादृत उच्च आदर्शों का, जीवन तथा समाज में अनुवर्तन कराना ही आर्यसमाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द जी सरस्वती का पवित्र उद्देश्य था। राष्ट्र के विकास का कदाचित् ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहाँ आर्य समाज ने अपने दायित्व पूर्ण कर्त्तव्य का पालन न किया हो। शिक्षा, विचार, सौहाद, मानवता, पारस्परिक सहृदयता तथा सदाचार के क्षेत्र में आर्यसमाज का दृष्टिकोण सर्वदा व्यापक रहा है। अपने पवित्र ध्येय में जगदीश्वर का अवलम्ब ले साथ ही निष्पक्षता एवं सत्य का पाथेय ग्रहण कर आर्यसमाज ने भारतीय राष्ट्र को सम्मानित तथा गौरवान्वित करने का शुभ संकल्प अंगीकृत किया है। भारतीय राष्ट्र के उत्थान में आर्यसमाज की अनेका-नेक मौलिक देन हैं जिनके प्रति आज भी भारत के विभिन्न विचार धाराओं के महनीय व्यक्ति भी आभारी हैं।

आर्यसभ्यता, मानवीय सांस्कृतिक कल्पनाओं का ही प्रतीक है। उसी आर्य सभ्यता की प्राण प्रतिष्टा आर्यसमाज का महान् लक्ष्य है। वैदिक संविधान की मान-मर्यादाओं का संरक्षण आर्यसमाज का पावन व्रत है। निष्पक्ष आलो-चक की भांति सुस्थिर जागरूकता की अमर ज्योति का समुज्वल प्रकाश इसके हृदय में है। इसी की दिव्य ज्योति से कल का भारत ज्योतित है, वर्तमान का भारत आभारी तथा भविष्य का आशामय।

इतिहास के अवलोकन से स्पष्ट है कि आर्यसमाज गणेशगंज का कार्यक्षेत्र अत्यन्त व्यापक रहा है। सुधार की अथवा उन्नति की कोई ऐसी विचारधारा नहीं थी जिसमें इस आर्यसमाज ने सक्रिय सहयोग न दिया हो। आर्य समाजों के अपने क्षेत्र में भी इस आर्यसमाज ने अपनी क्रियात्मक सहयोगिता प्रदर्शित की है। स्थानीय परिस्थितियों तथा गतिविधियों में आर्यसमाज गणेशगंज ने अपने अस्तित्व की सफल सार्थकता प्रदर्शित की है। परिणाम स्वरूप नगर के सामाजिक क्षेत्र में इस समाज का विशेष समादर है। विश्वास है कि भविष्य में भी यह आर्यसमाज इसी प्रकार अपनी सेवाभावनाओं द्वारा जनता की सहानुभूति तथा सम्मान प्राप्त करेगा।

आर्य समाज गनेशगंज
लखनऊ
के नाम
दानपत्र

१—श्री लाला रामगोपाल जी—नवाबगंज उन्नाव का दानपत्र
२—श्री बा० सरजूदयाल जी लखनऊ निवासी का दानपत्र
३—श्री ठा० कामतासिंह जी शाहजहाँपुर लखनऊ निवासी का दानपत्र
४—श्री चतुरी मिस्त्री बिरहाना लखनऊ निवासी का दानपत्र
५—श्री बाँकेलाल जी निगम छितवापुर लखनऊ का दानपत्र

ओ३म्

श्री लाला रामगोपाल जी नवाबगंज, उन्नाव निवासी का दानपत्र

मन्कि रामगोपाल गुप्त वल्द लाला काशीराम क़ौम वैश्य पेशा कारखाना लोहा साकिन नवाबगंज मज़रुआ मौज़ा पछाहूँ परगना झलोतर अजगैन तहसील हसनगंज ज़िला उन्नाव का हूँ। चूंकि मुन्मिक़र वाशिन्दा क़दीम नवाबगंज शहर कानपुर का है और वहां से बग़ैर किसी सरमाया मौहसी के तनहा व तहदस्त आकर नवाबगंज ज़िला उन्नाव में बूदोबाश अख्तियार कर और कारोबार तिजारत लोहा शुरू किया परमात्मा की कृपा व दया से सरमाया मुन्मिक़रा ने बज़ात खुद हासिल किया चूंकि मुन्मिकर के कोई औलाद नरीना नहीं है और न आयन्दा उम्मीद है इस हयाते मुस्तयार कुछ एतबार नहीं है कि किस वक्त रूह कालिब से परवाज़ कर जावे लिहाज़ा हर शख्स को वाजिब व लाजिम है कि अपनी हयात बरक़ार में अपनी तमामी जायदाद का ऐसा इन्तिज़ाम व बन्दोबस्त कर जावे ताकि उसके बाद कोई झगड़ा व फसाद बरपा न हो पस मेरी मन्शा व ख्वाहिश दिली अरसे यह थी और मुन्मिकर आर्य-समाज के सिद्धान्तों का मानने वाला हूँ इस लिए अपनी तमाम जायदाद मन्कूला व ग़ैर मन्कूला के कार खैर में वक्फ कर रहा हूँ ताकि हमेशा के लिए नाम मुन्मिकर कायम व बरकरार रहे और मुनाफा जायदाद का हमेशा कार खैर में सर्फ़ हुआ करे चूंकि मुन्मिकर के पास एक किता मकान पुख्ता मैं आराज़ी जिसमें मुन्मिकर खुद सकूनत पज़ीर है व एक किता मकान पुख्ता मैं आराज़ी मौसूमा कन्या पाठशाला जो बमशहूर नाम मुसम्मात तुलसा देवी जौजे खुद मुन्मिकर ने अपने ज़ाती रुपया से तामीर कराया है और कन्या पाठशाला जारी होगा व एक किता मकान पुख्ता मैं आराज़ी मौसूमा फाटक वाला जिसमें कारखाना लोहा अज़ नाम मुन्मिकर जारी है व एक किता मकान पुख्ता मै आराज़ी हर चहार कतात मकानात मज़कूर मालियती मुब्लिग़ आठ हज़ार रुपया मौकूआ नवाबगंज मज़रै मौजा पछांव परगना झलोतर अजग़ैन तहसील हसनगंग जि० उन्नाव मौजूदा है और मनकूला व मकबूज़ा व ज़रखरीद तामी करदा जाती मुन्मिकर है जिस पर मुन्मिकर हनूज़ बिला शिरकत ग़ैरे क़ाबिज व दख़ील है कोई दूसरा सहम व शरीक़ मेरा मकानात मज़कूरा भी नहीं है और न कोई हक़दार है और कारखाना लोहा म सरेदस्त एकसौ पचीस अदद कोल्हू मालियती चार हज़ार छः सौ रुपया व कराह अगहिनी गरुआ और तरुआ एक सौ पचीस अदद मालियती मुबलिग़ एक हज़ार रुपया व जुमला सामान कारखाना मिस्ल मशीन कराह कढ़ाई वग़ैरह

मालियती एक हज़ार रुपया मौजूद है व जायदाद मुफस्सिला ज़ैल मिन्जानिब माधोप्रसाद वल्द राजाराम कौम वैश्य सा० नवाबगंज जि० उन्नाव बिल्ग्रवज़ मुब्लिग़ पांच हजार रुपया बतक़र्रर सूद फीसदी बारह आना माहवारी बमियाद फक़रहन पांच साल बजरिए रहननामा मौरुखे दस माह मई सन् १९१९ ई० व मुसद्दिक़ा १२ मई सन् १९१९ ई० पास मिन्मकर रहन है जो माधो प्रसाद राहिन से हिनूज़ फक़रहन नहीं हुआ है और मु० चार सौ रुपया नक़द जमा करता हूँ और जायदाद मुन्ज़िकरा सदर जमीयत इन्तक़ालात व बार किफालत व हूयून व तनाज़ात वग़ैरा से बरी व महफ़ूज़ है लिहाज़ा बहालत सेहेत जात व सबोत अक्ल बिला जब्रो व अफराह बदुरुस्तीं होसो हवास व बिला दाब नाजायज व बिला तरग़ीब दीगरे महज़ अपनी खुशी व रज़ामन्दी से बजरिए तहरीर हाज़ा एक़रार करता हूं और लिखे देता हूँ हस्ब शरायत ज़ैल के इस दस्तावेज़ के कुल अहकाम के पाबन्दी मेरे वरसाय व औज़ाय व जा नशियान व दीगर क़ायम मुक़ामान कानूनी पर मिस्ल मेरी ज़ात के उसी तरह हो गये जैसे कि मुझ पर है गोया कि वह मुक़र्रर है वसीका के है अव्वल यह कि बज़रिए इस तहरीर के एलान व इज़हार करता हूँ कि मकानात व कारखाना लोहा वग़रज कारखैर अहल हिनूद बहक कन्या पाठशाला तामी करदा खुद व आर्य्यसमाज लखनऊ हमेशा के लिए वक्फ़ आम है इस जायदाद में मिन्मिकर व वारसान व कायम मुकाम मिन्मिकर या किसी सख्स को कोई हक़ मालकाना नहीं है न आयन्दा होगा (२) यह कि इस जायदाद मौक़ूफ़ा और इसकी आमदनी का जुमला इन्तज़ाम व इक़राम एक कमेटी के जुम्मे रहेगा जिसके मेम्बर ज़ैल हैं (१) मुन्मिकिर बख़ैर व हयात खुद (२) आर्यसमाज लखनऊ जिसके रजिस्टरी हस्ब ऐक्ट २१ सन् १८ ई० बाज़ाब्ता हो चुकी है। उस समाज के अन्तरंग मेम्बरान बज़रिए तहरीर व दरजा हिज़ा नामज़द व मुक़र्रर किए जाते हैं यह सब साहब व मुतहम्मिक जायदाद मौक़ूफ़ा और उसकी आमदनी के वसूल व मसारिफ़ के निगरां रहेंगे जो कमेटी इस तौर पर मुक़र्रर की गई है या आयन्दा जो नामज़द व मुकर्रर हो उसका नाम कमेटी जायदाद वक़्फ़ कन्यापाठशाला व आर्य समाज लखनऊ होगा (३) यह कि किता मकान बसकूनत मुन्मिकर शामिल मकान मौसूमा कन्या पाठशाला मौक़ूफ़ा रहेगा (४) यह कि जो कारखाना लोहा अज़ नाम मुन्मिकर जारी है इसमें जो मुनाफ़ा सालाना होवे उस मुनाफ़े में से एक सुल्स मुनाफ़ा कन्या पाठशाला मौक़ूफ़ा व प्रचार आर्यसमाज नवाबगंज में हमेशा सर्फ हुआ करे और एक सुल्स मुनाफा कारखाना मज़कूर में साल व साल लगाया जावे और एक सुल्स मुनाफा आर्यसमाज लखनऊ में जो दयानन्द ऐंग्लो वैदिक हाई स्कूल कायम

किया है उसके वोर्डिंग हाउस व दीगर इमारत या और किसी स्कूल के किसी काम में मस्लन गरीब होनहार विद्यार्थियों के वज़ीफ़ा वग़ैह में सर्फ़ करें व करावें (५) यह कि वाद वफात भी मु० १५) माहवारी मु० तुलसादेवी जौजे मेरी की वतौर गुज़ारा विनाबिर बसर औक़ात उसके ताहयात ज़ौजे मजकूर मुनाफा कारखाना लोहा मुतल्लिक़ कन्या पाठशाला व प्रचार वग़ैरह से मुन्तज़िम जायदाद मौकूफ़ा दिया करें (६) यह कि मुसम्मियान मुन्नीलाल व मूलचन्द व वावूराम उर्फ़ खूबचन्द व कन्हई लाल व बल्देव प्रसाद जो विरादर अज़रह मुन्मिकर हैं जिनका कारोवार व खुर्दनोश।

अरसा दराम से मुझसे इलाहदा: व जुदागाना हैं और उनके पास कोई मकान जाती नहीं है जिसमें वह अपने वूदोवाश रखते चुनान्चे मकान चहाएम मौकूफ़ा के हस्व मर्ज़ी मुन्मिकर के सकूनत पज़ीर हैं इसकी निस्वत यह हिदायत करता हूँ कि मन्नी लाल वगैरह मज़कूरुल्सदर जव तक नवावगंज मज़कूर में अपना कारोवार करे उस वक्त तक मकान मज़कूर में सकूनत पज़ीर रहे सिवाय हक सकूनत के कोई हक मिल्कियत मकान मजकूर हासिल नहीं है और न होगा और जव मन्नी लाल वगैरह दूसरी जगह अपना कारोवार करे तो ऐसी सूरत में जो किराया मकान मज़कूर का आवे वह उमूर मुतज़ाक्किरह वाला में सर्फ़ हो (७) यह कि जो जायदाद वज़रिए रेहन नामा मौरुखे १० माह मई सन १९१९ इ० मिन्जानिव माधो प्रसाद मुनमिकर करता है रेहेन है उसकी निस्वत यह हिदायत करता हूँ कि मु० जानकी देवी व मु० सुन्दर देवी नावालिग़ान व पिसरान मुन्नू लाल जो पोती मेरे भाई राम लाल की है वह मु० राधा देवी नावालिग़ा व जिन्हें नन्द लाल जो पर पोती मेरे भाई राम लाल की है और उनकी शादी हिनूज़ नहीं हुई है चुनांचे असल ज़र रहेन तादादी पाँच हज़ार रुपया व जर सूद जो वावत रहन नामा मजकूर वरामद होगा कुल रुपया हर सह मुसम्मियान की शादी में व नीज मु० राधा देवी जो विल्कुल कमसिन है उसकी परवरिश में मून्तज़िमान सर्फ करे और शादी हर सह मुसम्मियान को मेरी विरादरी में कर देने (८) यह कि मु० चार सौ रुपया जो नक़द आर्य्य समाज लखनऊ में इस ग़रेज़ से जमा करता हूँ कि ज़र मुज्तना वाद वफ़ात क्रिया व करम मुन्मिकर में व नीज़ वाद वफ़ात मु० तुलसा देवी जौजे मेरे के क्रिया व करम में सर्फ हो और क्रिया व करम मिनिमकर व ज़ौजे मेरे के आर्य्य समाज के तरीके से आर्य्य समाज लखनऊ करे और जव तक मिनमकिर व ज़ौजा मेरी हयात है उस वक्त तक जो सूद उसे रक़म मुजतमा तादादी चार सौ रुपया का दस्तयाब हो उसकी निस्वत आर्य्य समाज लखनऊ को अख़्तियार

है कि जिस कार खैर के मुनासिब चाहे सूद जर मुज्तमा का सर्फ करे असल रक़म तादादी चार सौ रुपया मेरी व जौज़े मज़कूर की क्रिया व करम में सर्फ होगी (९) यह कि मिन्मिकर बहीनों वह हयात खुद जुमला इन्तजाम व इकरामे जायदाद मौक़ूफ़ा का करता रहेगा लेकिन मिन्मकिर इम्दाद के वास्ते एक सख्स को चाहता हूँ क्योंकि मैं जईफ़ हो चुका हूँ और यह काम दौड़ धूप का है तनहा नहीं हो सकता लिहाज़ा एक सख्स जिसको आर्य्य समाज लखनऊ मुनासिब तसव्वर करे मुक़र्रर कर दे कि वह मेरे हुक्म की पावन्दी करे व बाद मेरे अन्तरंग कमेटी को अख्तियार होगा कि जुमला इन्तज़ाम व इक़राय वक्फ का हस्ब ज़रायत वाला के करे और मकानात को किराया पर देने और किराये दारान से सरखत तहरीर कराने या किसी किरायेदार से तखलिया करावे और जदीह किराएदार आबाद करे या मुतालिक कारखाना लोहा कोई दरख्वास्त या नालिश रुजू करे या किसी नालिश या कारवाई या दरख्वास्त में सुलहनामा या तस्फ़िया नामा करे या उससे दस्तबरदार हो या और कोई कारवाई करे जिसका करना कानूनन जायज़ व लाज़िम हो मगर कोई कारवाई वज़रर व नुकस्तनरसानी अगराज़ वक्फ के कोई अमल में नहीं ला सकता है (१०) यह कि कमेटी पर लाज़िम होगा कि आमदनी व मसारिफ कारखाना लोहा मौक़ूफ़ा व आमदनी किराया मकानात मौक़ूफ़ा का एक रजिस्टर पर दर्ज करें और हस्ब दफ़ात उसका सही और दुरुस्त रक्खें (११) यह कि अगर खुदा न ख्वास्ता समाज इहतमाम तौलियत मन्ज़रे न करे या किसी वजह से गाफिल या तसाहुल या इन्कार करे या खुद मुस्तौफी हो जावे तो ऐसी सूरत में गर्वमेन्ट की अख्तियार होगा कि जिस सख्स को मुनासिब तसव्वर करे उसको मुन्तजिम तसव्वर करे ताकि वह मुन्तजिम शरायत वक्फ नामा वाला को तामील करे (१२) यह कि कमेटी को किसी हालत में कुल या जुज़ व जायदाद या उसकी आमदनी के व इत्लात या मकफूल या ज़ेरबार मुवाहदा करने का हक़ या अख्तयार किसी वख्त में हासिल नहीं है व न होगा १३ यह कि बाद वफात मेरे कोई सख्स या खास व वजह मेरी जात या व वजह मेरी रिश्तेदारी करीबी या बईदी या जानशीनी या और किसी तौर पर कोई दावा या हक़ या इस्तहकाक़ निस्वत जायदाद मौक़ूफ़ा या उसकी आमदनी के जाहिर करे बाद तूसब गलत व बातिल है और रूबरु हाकिम वक़्त लायक पज़ीराइ के न होगा। लिहाज़ा यह चन्द कलमा बतरीक वक़्फ़नामा के लिख दिया कि सनद रहे।

तफ़सील हदूद अरबा में मकानात मौकूआहाजा

नं० शुमार	किसम जायदाद	शर्को	गरबी	शूमाली	जनूनी
(१)	कता मकान मसकूना खुद	मुलहक मकान जगदीश दुबे वतमीरक खामिन मिकर कन्या पाठशाला छत	मुलहक मकान देवी दीन व भगवानदीन	दरवाजा सड़क	कूचा
(२)	कता मकान मूतूमा कन्या पाठशाला	मुलहक मकानात देवी दीन भगवान दीन	मुलहक मकान मसकूना मिनमिकर	मुलसके मकान जगदीश दुबे	कूचा
(३)	कता मकान फाटकवाला जिसमें कारखाना लोहा है ।	मुतजा खेत	मुलक खेत लाला लोहार	मुलहक खेत	सड़क
(४)	कता मकान जिसमें मनी लाल वगैरह हस्बइजाजत मेरे सकूनत पजी र	मुलहक मकान दिनेश दुबे	मुतहक मकान भगवान दुबे वराम अधीन	सड़क	मकान बद्री शाह

तफसील जायदाद हक़्क़मुरतहनी रेहनामा १० मई सन १९१९ ई० हिस्सा जमीनदारी तादादी २ विस्वा दस विसवान्सी मिनजुमला मुसल्लम विस्व विस्वा वाके मौजे सिरसा जो मौसूमा मोहाल राजाराम परगना गोरन्दा पर सनहन तहसील हसनगंज जिला उन्नाव । मुसल्लम विस्व विस्वा वाके मौजे सिरसा जो मौसूमा मोहाल राजाराम परगना गोरन्दा पर सनहन तहसील हसनगंज जिला उन्नाव ।

निसफ़ हिस्सा मिनजुमला १ किता बाग अमरूद चकदारी नम्बरी १५० तादादी १ बिघा दो विस्वा ६ विसवान्सी पन्द्रह कचवान्सी विला निकासी वाके मौजा शंखा पुर परगना व तहसील व जिला लखनऊ ।

द० रामगोपाल गुप्त वा० खुद

बही नं० १ सफ़ा २०६ नम्बर ६ पर २४ माह अगस्त सन १९२० ई०

२०६

ओ३म्

श्री बाबू सरजू प्रसाद जी लखनऊ निवासी का दानपत्र

मन्कि सरजूदयाल वल्द मुंशी किशुनदयाल साहब साकिन मुहल्ला गणेश गंज लखनऊ का हूँ जो कि मिनमुकिर आर्य्यसमाज लखनऊ का तारीख ६ मई सन् १८८० ई० से जिसदिन महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वतीं जी महाराज ने आर्य्यसमाज लखनऊ कायम किया बराबर आजतक मेम्बर हैं और इस वक्त उसका प्रेसीडेन्ट भी हुँ और तमाम उम्र भर मिनमुकिर ने समाज के हर काम में हर तरह से सेवा की है और हमेशा उसकी तरक्की व वहबूदी में दिलोजान से कोशिश करता रहा है। जो कि आर्य्यसमाज मौसूफ ने तारीख ४ जुलाई सन् १९१८ ई० से महर्षि स्वामी दयानन्द जी सरस्वती महाराज की यादगार में दयानन्द ऐङ्गलो वैदिक हाई स्कूल लखनऊ में खोला है जिसके कायम व तरक्की के लिए और नीज़ उसको कालिज की हैसियत में पहुंचाने की गरज़ से सरमाये वाफिर की ज़रूरत है और जो कि विही ख्वाहान मुल्क व हवाख्वाहान आर्य्य-समाज की दिली ख्वाहिश है कि इस स्कूल की रोज़ अफ्ज़ूं तरक्की हो और जहाँ तक जल्द मुमकिन हो श्री स्वामी जी महाराज की यादगार बशक्ल डी० ए० वी० कालिज लखनऊ में कायम हो और इस ख्वाहिश व आरजू से ऐसे ऐसे आलीहिम्मत और फय्याज़ सरपरस्तान स्कूल ने जैसे लाला रामगोपाल जी गुप्त रईस नवाबगंज ज़िला उन्नाव ने शाहान अतीयाजात से इस स्कूल की मदद की है और करते रहते हैं और अपनी कुल जायदाद गैरमनकूला बहक डी० ए० वी० हाई स्कूल हिबा कर दी है और मिनमुकिर की भी अरसे से यही ख्वाहिश थी कि अलावा खिदमत मेम्बरी आर्य्यसमाज मौसूफ के कुछ माली खिदमत भी करे लिहाज़ा स्कूल खुलने के बादही मिनमुकिर ने १०००) रु० दिया और अब जो कि मिनमुकिर की उम्र ७१ सालके है और मिनमुकिर अक्सर बीमार रहता है और जो कि सरमाया मिनमुकिर के पास है वह ज्यादातर बशक्ल करजेजात है उसका सूद भी अलावा उस पेन्शन के जो कि सरकार से मिलती है मिनमुकिर का ज़रिये माश है मिनमुकिर ने यह पोख्ता इरादा कर लिया था कि बतौर एक अदना खादिम आर्य्यसमाज के और एक अदना भक्त श्री स्वामी जी महाराज के काम के मिनमुकिर अपना सरमाया अलावा १०००) रु० के जिसका ज़िक्र ऊपर हो चुका है तादादी ४४००) रु० आर्य्यसमाज मौसूफ के हकमें मुन्तकिल करदे ताकि वह आर्य्यसमाज लखनऊ के सरमाये में शामिल होजावे और उसके सूद से मावा की उल उम्र अपनी मिनमुकिर गुज़ारा औकात के लिए आर्य्यसमाज से काफी गुजारा लेता रहे और इसी मकसूद से मिनमुकिर

ने आर्य्यसमाज मौसूफ से इस्तदुआ की मंजूरी के लिए चंद शरायत के साथ दरख्वास्त की थी और जोकि आर्य्यसमाज मौसूफ ने अपनी अंतरंग सभा मुनअकदा ता१६ मई सन् १६२१ ई० में मिनमुकिर की इस नाचीज़ दरख्वास्त को इस शर्त पर शर्फ क़बूल बख्शा है कि किसी हालत में आर्य्यसमाज की जिम्मेदारी सरमाये मजकूर के सूद की उस रकम से ज्यादा मिनमुकिर को अदा करने की न होगी जो फिलवाकै आर्य्यसमाज मौसूफ को वसूल हो और सर्माया मज़कूर जो आर्य्यसमाज के हकमें मुन्तकिल होगा किसी तौर काबिल वापसी न होगा और जोकि मिनमुकिर भी इस अंतरंग सभा में शरीक था और मिनमुकिर ने इस शरायत को कबूल और मंजूर किया था और बगरज़ तकमील तजवीज़ मज़कूर आर्य्यसमाज के हक़ में दस्तावेज़ इस्तिकरार अमानत का तहरीर करना और मिनमुकिर आर्य्यसमाज के हकूक व ज़िम्मेदारी की तशरीह हो जाना ज़रूरी है ताकि आइन्दा किसी क़िस्म की निज़ा व खरखशा पैदा न हो लिहाज़ा अलहाल व सेहतज़ात व सबातअक्ल और दुरुस्ती होश व वरज़ा व रगवत खुद विला किसी जब्र व इकरार के मैंने बजरिये दस्तावेज़ हाज़ा अपना सरमाये नकदी बतौर डिपाज़िट व क़रजाजात को मय सूद ग़ैर मोअद्दा जो इस वक्त तक बाक़ी है कुल तादादी मुबलिग़ ४४००) रु० जिसकी तफसील ज़ैल में दर्ज है और जिसका मिनमुकिर मालिक मुतलक व विला शिरकत अहदे व मुसाहमत दीगरे है और जिसके मुन्तकिल करने का मिनमुंकिर को विलामहज़ाहत अहदे इख्तियार कुल हासिल हैं व हक आर्य्यसमाज लखनऊ जिसका सदर दफ्तर मुहल्ला गणेशगंज में है मुन्तक़िल करता है और आर्य्यसमाज मौसूफ को उसका अमीन करार देता है इस ग़रज़ से कि सरमाया मजकूर आर्य्यसमाज मौसूफ के सरमाये में वास्ते एग़राज़ आर्य्यसमाज के जो उसके मेमोरेण्डम आफ़ एसोशिएशन में दर्ज हैं या आइन्दा तौसीह या तरमीम होकर कायम किये जावें शामिल किया जावे।

(१) अव्वल यह कि—तारीख १ जून सन् १६२१ से आर्य्यसमाज मौसूफ इस कुल सरमाया का जो बशक्ल नक़दी बतौर डिपाजिट व क़रजाजात के अज क़िस्म तमस्सुकात व प्रोनोट हैं और जिसकी तफ़सील ज़ैल में दर्ज है मालिक अमीनाना होगी और उसको अख्तियार होगा कि वह डिपाजिट व करज़ाजात अस्ल व सूद को जिस तरीक़ा पर मुनासिब समझे वसूल करे और उसको जुम्ला इख्त्यारात मालिकाना नालिशात दायर करने व डिग्रियात हासिल करने व क़रज़ाजात मजकूर के बेरून अदालत व या अदालत मजाज़ में वसूल करने व इजराय डिग्री वगैरह जुमला कारंवाइयात अदालती करने के मिस्ल मिनमुक़िर के हासिल होगी और उसको कुल हकूक़ मुर्तहनी जो मुत्ज़क्किरे

जैल मिनमुकिर को हासिल हैं हासिल होंगे और इख्तियार होगा कि इस रक़म को चाहे किसी बैंक में डिपाज़िट करे या किसी कफ़ालत में लगावे या उस से कोई जायदाद खरीद करे या रेहन करे या कोई बिल्डिंग तामीर करे या उससे लोगों को क़रज़ा दे वा दीगर काम पर रकम वसूल शुदा इन्वेस्ट करे जो उसके नज़दीक मुनासिब और वास्ते आर्य्यसमाज के नफेरसाँ हो या क़रज़ाजात व कफालतहाय मुन्तकिल शुदा को अपनी तरफ़ से किसी शख्स के हाथ फरोख्त या मुन्तक़िल करे अब मिनमुक़िर को कोई हक़ उस जायदाद पर बाकी नहीं रहा और न अब मुझ मिनमुक़िर को कोई इख्तियार अस्ल व सूद का बाकी रहा।

(२) दोयम यह कि मिनमुक़िर की जिन्दगी भर जो सूद याफ्तनी वाजिब हो मिनमुक़िर को अंग्रेजी महीने की १५ पन्द्रह तारीख तक मिला करे चाहे आर्य्यसमाज को देर में वसूल हो अगर मिनमुक़िर के रुपये को और कहीं लगाने से कम सूद मिले या आर्य्यसमाज मिनमुक़िर की जिंदगी में मिनमुक़िर का रुपया अपने सर्फ में लावे तो ऐसी हालत में २०) बीस रुपया महीने से कम किसी क़दर भी मिनमुक़िर को न मिले।

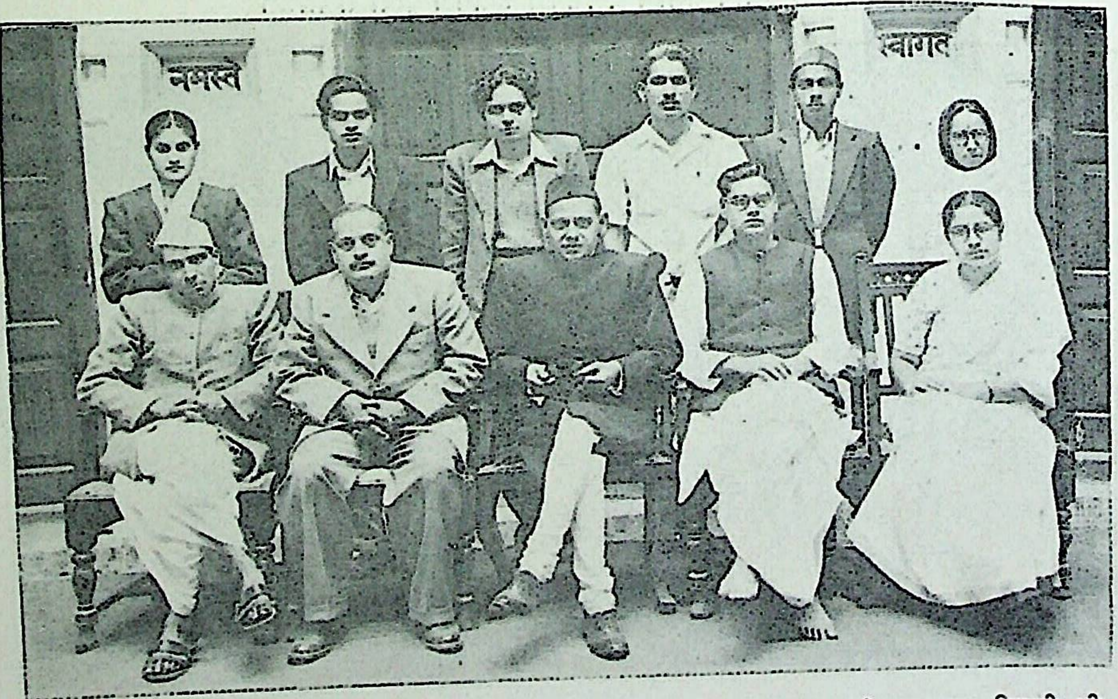
(३) सोयम यह कि इस मुबलिग़ ४४००) रु० में से ४०००) चारहज़ार रुपया और पहिले का दिया हुआ १०००) रुपया की लागत से मेरे नाम का एक होस्टल डी० ए० वी० हाई स्कूल लखनऊ जिसको आर्य्यसमाज तामीर करावे और उस में मिनमुक़िर के वालिद या मिनमुक़िर की लड़की के वंश का एक लड़का जो आर्य्यसमाज व होस्टल के क़वायत की पावन्दी करे बिला फीस के रहने का मुस्तहक़ होगा।

(४) चहारुम यह कि मेरे वालिद व मेरी लड़की के वंश का एक लड़का आर्य्यसमाज के नियमों पर चलकर विला फीस इस आर्य्यसमाज द्वारा क़ायम शुदा दयानन्द ऐङ्गलो वैदिक स्कूल व कालिज में पढ़ाये जाने का मुस्तहक होगा।

(५) पंजुम यह कि मिनमुकिर का मृतकसंस्कार आर्य्यसमाज मौसूफ श्री १०८ महर्षि स्वामी दयानन्द जी सरस्वती की रची हुई संस्कारविधि के अनुसार करादे और उस में मुबलिग २००) रुपया से जायदा खर्च न करे।

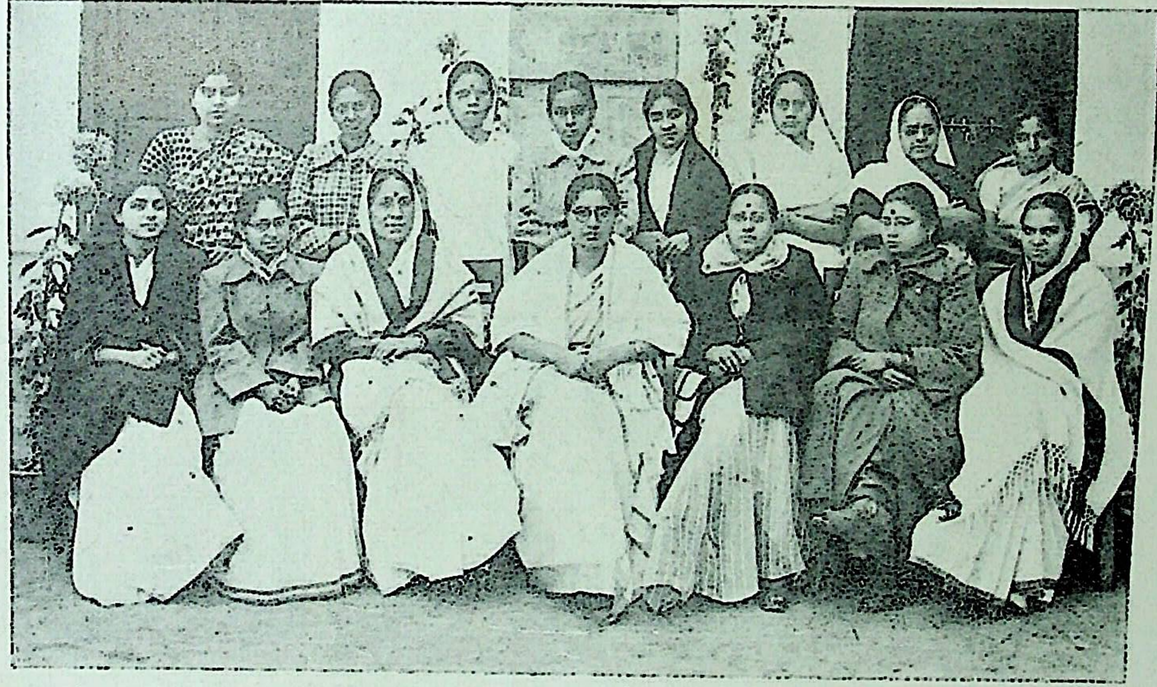
(६) शशुम यह कि एक तमगा हर साल आर्य्यसमाज लखनऊ अपने उस मेम्बर को मिनमुक़िर की तरफ से मिनमुकिर के परम मित्र पंडित रामदुलारे बाजपेयी मरहूम के नाम से दिया करे जिसने आर्य्यसमाज लखनऊ की सेवा

आर्यसमाज गणेशगंज लखनऊ द्वारा संचालित–टेलरिंग स्कूल



बैठे हुए—श्री राजकिशोर कपूर, श्री महेश्वर पाण्डेय, श्री तेज नारायण श्रीवास्तव, श्री चन्द्र दत्त तिवारी, श्री कु० सन्तोषदत्त । खड़े हुए—कु० माथुर, श्री रामदुलारे, श्री अरुणकुमार तिवारी, श्री कबूल चन्द्र शर्मा, श्री छोटेलाल आर्य, श्रीमती सहोद्री देवी मेहरोत्रा ।

आर्य समाज गणेशगंज लखनऊ द्वारा संचालित



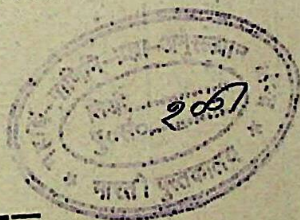
बालिका विद्यालय की अध्यापिकायें (१९५६-५७)

अन्तरंग सभा की समझ में गुजिश्ता साल सबसे अच्छी की हो यह तमगा २००) रु० के सरमाया सूद हासिल शुदा से तय्यार कराया जावे।

(७) हफ्तुम यह कि कुल क़रज़ाजात जिसकी तफसील इस दस्तावेज़ में दर्ज की गई है इस वक्त मिनमुकिर को वाजिबुलअदा है क़ाबिल वसूल है और जो तादाद अस्ल व सूद की दर्ज की गई है सही है अगर कोई क़र्जदार उज़् उसूल सूद या असल का पेश करे तो वह गलत व नाजायज़ होगा और कर्ज-दारान मजकूर को मिनमुकिर इत्तिला बाजाप्ता इस इंतकाल की देदेगा इस हिदायत से कि वह सूद वाजिबुलअदा व सूद आइन्दा या ज़र अस्ल सिर्फ आर्य्यसमाज लखनऊ को या उस के हुक्म पर अदा करें और यह भी वाजे रहे कि अगर हिसाब सूद के लगाने में ग़लती रही हो तो वह ग़लती मुजरिहक आर्य्यसमाज मुतालिक वसूल करने सही सूद के नहीं होगी।

(८) हश्तुम यह कि बादवफात मिनमुकिर के मिनमुकिर के किसी वारिस या कायममुकाम को गुजारा मजकूर पाने का इस्तहकाक न होगा यह गुजारा सिर्फ़ मिनमुकिर की जात तक महदूद है और वह काबिल तौरीस व काबिल इन्तकाल नहीं है आर्य्यसमाज मौसूफ सरमाये मजकूर के सूद की कतई मालिक व मुख्तार है और उसको कुल्लन अपनी अगराज में सर्फ कर सकता है।

(९) नहुम यह कि–दस्तावेज़ करज़ा मिस्ल प्रोनोट व डिपाज़िट रसीदात मुन्तकिल शुदा मिनमुकिर ने हवाले सेक्रेटरी आर्य्यसमाज लखनऊ कर दिये हैं और इन्दुलजरूरत मिनमुकिर तमाम अफआल व कार्रवाई अमल में लायेगा और लाता रहेगा जो क़ानूनन वास्ते तकमील या इस्तेहकाम या निफाज हकूक मिलकियत आर्य्यसमाज के बावत् सरमाया व करजाजात महूबा के मिनमुकिर की जानिब से अमल में लाना जरूरी होगा इसलिये यह चंद कलमा बतरीक दस्तावेज इस्तिकरार अमानत तहरीर कर दिया कि सनद रहे और वक्त ज़रूरत पर काम आये फ़कत।



———

तफसील दस्तावेज़ व प्रोनोट व डिपाजिट बंक मुन्तक़िलशुदा आर्य्यसमाज लखनऊ ।

नाम काग़ज़ात	अस्ल	तादाद सूद वाजिब ३१ मई सन् १९२१ तक	मीज़ान कुल अस्लं व सूद	सूद महाना	नौइयत कर्जा सादा या रहन
१. फिक्सड डिपाज़िट डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव वैंक लिमिटेड लखनऊ रसीद नं० ता० २८ जनवरी सन् १९२१* ई० मिमादी तीन साल इब्तिदाय २८ जनवरी सन् १९२० लगायत २७ जनवरी सन् १९२३ ई० शरह सूद ७) सात रुपया फ़ीसदी सालाना ।	१०००)	२९=)८	१०२९=)८	५॥।-)४	सादा
२. फिक्सड डिपाज़िट नेशनलवैंक आफ अपर इंडिया लखनऊ रसीद नं० मुर्बरिखा २५ अगस्त सन् १९१९ ई० मियादी २ साल इब्तदाई २४ अगस्त सन् १९२१ ई० शरह सूद फीसदी ६) सालाना ।	१०००)	२५)	१०२५)	५)	सादा

* १९२० होना चाहिए भूल से १९२१ लिख गया है ।

नाम कागजात	अस्ल	तादाद सूद बाजिब ३१ मई सन् १९२१ तक	मीजान कुल अस्ल व सूद	सूद महाना	नौइयत कर्जा सादा या रहन
३. करेण्ट अकौण्ट बाबू सतगुरदयाल वल्द बाबू हरगोविंद-दयाल साहेब मरहूम प्रोप्राइटर सावंत कम्पनी लखनऊ शरह सूद फीसदी ६) रुपया सालाना।	१९००)	९॥)	१९०९॥)	९॥)	सादा
४. वार बाँड प्रामेसरी नोट नम्बर ०१५८७६ बावत् सन् १९२२ ई० शरह सूद फीसदी ५॥) सैकड़ा सालाना।	१००)	१।=)	१०१।=)	।≡)४	सादा
५. प्रोनोट नविश्ता बाबू हरप्रसाद साकिन गणेशगञ्ज लखनऊ मुवर्रिखा ७ जुलाई सन् १९२० शरह सूद १) रु० माहवारी।	१००)	१)	१०१)	१)	सादा
६. तमस्सुक नविश्ता महावीर व नोहरे व गणेश पिसरान मन्ना अकवाम अहीर साकिनान मौजा वल्हऊमऊ जिला उन्नाव मुवर्रिखा ८ अप्रैल सन् १९१८ ई० निर्ख सूद १) रुपया माहवारीं।	९९)	१३।-)।	११२।-)।	१)	सादा

७. तमस्सुक नविश्ता महावीर व नोहरे वगैरह मजकूरैन मर्वारिखा ८ अप्रैल सन् १६१८ वशरह १) माहवार सूद ।	६६)	१३।-)।	११२।-)।	३१)	सादा
८. जर नकद	६।)१०		६।)१०		
मीजान			४४००)		

अलमरकूम २६ माह मई सन् १६२१ ई० ।

वकलम रामदुलारे दस्तावेज नवीस,
मुहकमा रजिस्टरी लखनऊ ।

(Sd.) Surjoo Dayal.

Witnesses:—Luchmi Sahai son of Gurdayal Singh Beruni Khandak Lucknow.
Ganesh Dayal son of Babu Bhagwan Dayal Ganeshganj Lucknow

Registered as No. 332 in Book No. 4 Vol. 296 no pages 57 to 60 this the 27th day of May 1921.

(Sn.) Dide Prasad,

Sub-Registrar, Lucknow.

ओ३म्

श्री ठा० कामतासिंह जी शहजादपुर लखनऊ निवासी का दानपत्र

मैं ठाकुर कामता सिंह सुपुत्र ठाकुर भवानी सिंह जाति ठाकुर जनवार नम्बरदार व निवासी ग्राम शाहजाद पुर परगना व तहसील मलिहाबाद जिला लखनऊ का हूँ।

चूकि मेरी आयु अब लगभग ६६ वर्ष की है मेरे कोई संतान नहीं है और और न अब होने की आशा है कि जिससे मेरा नाम स्थित रहे अतः मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि मेरे पश्चात् मेरी सम्पत्ति का ऐसा प्रवन्ध हो कि वह नष्ट न हो और उसकी आय से धार्मिक समाजिक तथा शिक्षा सम्वन्धी काम होता रहे इस कारण मैं अपनी सम्पति स्थायी व अस्थाई जिसका कि मैं इस समय स्वयम् अकेला पूर्णतया स्वामी हूँ और वह भी सम्पत्ति जिसको कि मैं अपने अन्त काल के समय छोड़ जाऊँ आर्य्य समाज लखनऊ को जिसका कि मैं ८ जनवरी १८८८ ई० से सभासद रहा हूँ और जिसके धार्मिक सामाजिक तथा शिक्षा सम्बन्धी कार्य्यों से सहानुभूति रखता रहा हूँ निम्नलिखित शर्तों के साथ वसीयत करता हूँ।

१—यह कि अपने जीवन में मैं इस सम्पति का स्वामी रहूँगा और उसका प्रवन्ध करूँगा।

२—(क) यह कि मेरे पश्चात् इस सम्पति का प्रबन्ध सदा पाँच ट्रस्टियों द्वारा हुआ करेगा।

(ख) इन पाँचो ट्रस्टियों में से एक ट्रस्टी पंडित रास विहारी तिवारी सुपुत्र पंडित कुन्जी लाल तिवारी निवासी मोहल्ला गणेश गंज लखनऊ होंगे और वे अपने जीवन पर्यन्त ट्रस्टी रहेंगे।

(ग) शेष चार ट्रस्टियों का चुनाव आर्य्य समाज लखनऊ की अंतरंग सभा किया करेगी किन्तु इस बात का ध्यान रक्खा जावेगा कि जहाँ तक संभव हो उन चार ट्रस्टियों में से सदा एक ट्रस्टी मेरे वंश का ही कोई आदमी हो।

(घ) किसी ट्रस्टी के जीवनांत होने पर आर्य्य समाज की अंतरंग सभा को अधिकार होगा कि वह जिसको उपयुक्त समझे ट्रस्टी नियत करें किन्तु पंडित रास बिहारी तिवारी के स्थान पर जहाँ तक संभव हो उन्ही के वंश का कोई आदमी नियत किया जाय।

(ङ) पंडित रास बिहारी तिवारी जो आजीवन ट्रस्टी रहेंगे उसके अतिरिक्त शेष चार ट्रस्टियों को नियत करने व हटाने और रिक्त स्थान को पूरा करने का अधिकार आर्य्य समाज लखनऊ की अंतरंग सभा को होगा।

(च) ट्रस्टियों को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो इस समय मुझे प्राप्त हैं।

३—यह कि मेरे पश्चात मेरे ऊपर जो ऋण हो उसके अदा करने का प्रबन्ध ट्रस्टीगण करेंगे।

४—यह कि मेरी धर्म्म पत्नी श्रीमती जनाका देवी इस समय जीवित है और यदि वह मेरे पश्चात् भी जीवित रहे तो ट्रस्टीगण दान की हुई सम्पत्ति की आय से ३०) तीस रुपया प्रतिमास उनको दिया करेंगे।

(५) यह कि मेरे तथा मेरी धर्म्मपत्नी प्रत्येक के अंत्येष्टि संस्कार में ट्रस्टीगण २००) दो सौ रूपया व्यय करेंगे।

(६) यह कि तहसील वसूल का खर्च व मालगुजारी व ३०) रुपया प्रतिमास मेरी पत्नी को देने के बाद जो आय मेरी सम्पति की शेष हो उसमें से और मेरी पत्नी के देहान्त के पश्चात कुल आय में से ७५ प्रति सैकड़ा श्री मह्यानन्द ऐंगलो वैदिक हाई स्कूल लखनऊ को खर्च के लिए ट्रस्टीगण दे दिया करें और दो कमरे मेरे पूज्य पिता ठाकुर भवानी सिंह जी तथा मेरी धर्म्म पत्नी श्री मती जनाका देवी के नाम से अलग अलग बनवादें शेष २५) प्रति सैकड़ा आर्य्य समाज लखनऊ को धर्म प्रचार के किए दे दिया करे।

(७) यह कि ईश्वर न करे यदि कभी आर्य्य समाज लखनऊ न रहे तो जो ट्रस्टीगण उस समय होंगे वे उसी प्रकार रहेंगे और उनको अधिकार होगा कि किसी ट्रस्टी के स्थान रिक्त होने पर उसके स्थान पर किसी आदमी को नियत करे और यदि इसी प्रकार किसी समय श्री मह्यानन्द ऐंगलो वैदिक हाई स्कूल लखनऊ न रहे तो ७५) प्रति सैकड़ा आय ट्रस्टीगण आर्य्य समाज के किसी काम में जो वे उचित समझें व्यय करें।

अतः थोड़े से शब्द लिखे देता हूँ कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

द: कामता सिंह ब कलम खुद

दान की हुई स्थायी सम्पति का विवरण:-
जमीदारी ग्राम शहजाद पुर परगना व तहसी

द:

लेखक
भिखारी लाला व कलम खुद
साकिन गणेश गंज,
लखनऊ,
ता० ४ फरवरी १९२७

गवाह
काम
१

विटनेस
डा० भगवान सिंह टण्डन,
उमराव भवन, लाल बाग,
लखनऊ,